राजभाषा सुभाषिनी

2021

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

एन. बी.सी.एफ.डी.सी. के उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रुप में 13 जनवरी, 1992 को स्थापना की गई। इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) सरकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य उद्देश्य :

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना,
2. पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की, सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय और / या आर्थिक मानदंडो के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रुप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना।
3. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए स्वरोजगार तथा दूसरे काम के अवसरों को प्रोत्साहित करना;
4. चुने हुए मामलों में, देश में दोहरी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुदत्त बजटीय सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त उपलब्ध कराना;
5. पिछड़ी जतियों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/ व्यावसायिक / तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए ऋणों का विस्तार करना;
6. उत्पादन इकाइयों के उचित एव कुशल प्रबधन के लिए पिछड़ी जातियों की तकनीकी एवं उद्यमीय कुशलताओं के उत्थान में सहायता करना;
7. पिछड़ी जातियों के विकास से जुड़े राज्य स्तरीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वाणिज्यिक निधि प्राप्त करने में या पुन: वित्त उपलब्ध कराकर सहायता करना;
8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डो के कार्य में, पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास की सीमा तक सहयोग करने तथा इसकी देखरेख करने के लिए शीर्ष संस्था के रुप में कार्य करना;
9. पिछड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

राजभाषा सुभाषिनी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
5वॉ तल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग 3, सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
ईमेल : nbcfdc@nbcfdc.gov.in वैबसाईट : www.nbcfdc.gov.in

" एक हिन्दी ही राष्ट्रभाषा की जगह ले सकती है,
कोई दूसरी भाषा नहीं "

– महात्मा गाँधी

" हमें चाहिए कि हम अपनी भाषाओं का विकास करें और उनका प्रयोग करें जिन्हें जनता आसानी से समझती है। इसलिए जनता और प्रशासन के बीच अटूट रिश्ता बनाने के लिए हमें हिन्दी को सशक्त बनाना होगा "

– अटल बिहारी वाजपेयी

डा. वीरेन्द्र कुमार
DR. VIRENDRA KUMAR
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINITER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110115
Office: 202,"C" Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel.: 011-23381001, 23381390, Fax: 011-23381902
E-mail: min-sje@nic.in
दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902
ई-मेल: min-sje@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी गृह पत्रिका ''**राजभाषा सुभाषिनी**'' का प्रकाशन किया जाता है। यह एक अच्छा प्रयास है, इससे हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त होती है और कार्मिकों को लेखन का अवसर भी मिलता है। पत्रिका के प्रकाशन हेतु हमारी ओर से हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं।

हिन्दी भाषा को केन्द्र सरकार की '**राजभाषा**' के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मान्यता संविधान द्वारा संरक्षित है। अतः इसका प्रचार-प्रसार हम सभी का दायित्व है। कम्प्यूटर टेक्नॉलोजी के विकास के साथ-साथ अब कार्यालयी कार्य हिन्दी में करना अत्यंत आसान हो गया है। गूगल इन-पुट टूल के माध्यम से हिन्दी की टाइपिंग, राजभाषा विभाग के '**ई-शब्द महाकोष**' के माध्यम से हिन्दी शब्दों का पता बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए हम इंटरनेट के माध्यम से वाक्यों एवं पैराग्राफ का हिन्दी में अनुवाद भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कार्यालयी कार्य हिन्दी में करना अत्यंत आसान हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब समर्पित भाव से दृढसंकल्पित हो कर हिन्दी का प्रयोग करें, जिससे हिन्दी भाषा को उचित सम्मान मिल सके और इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

मुझे आशा है कि पत्रिका ''**राजभाषा सुभाषिनी**''अपने उद्देश्यों में सफल होगी।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम हिन्दी भाषा के प्रयोग में उत्तरोत्तर गति लाने एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से अपनी राजभाषा गृह पत्रिका ''राजभाषा सुभाषिनी'' का प्रकाशन नियमित रूप से कर रहा है।

न सिर्फ आम बोल–चाल की भाषा में अपितु व्यवसाय में भी हिन्दी भाषा का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है देश में हिन्दी भाषा को बोलने और समझने वालों की बड़ी तादाद। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी काम–काज के अलावा सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की योजनाओं का प्रचार–प्रसार हिन्दी में किया जाए।

आशा है कि यह पत्रिका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। पत्रिका के सफल सम्पादन के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।

सादर

(रामदास आठवले)

Office: 101, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23381656, 23381657, Fax : 011-23381669

ए. नारायणस्वामी
A. NARAYANASWAMY

Do. No. 211/MOS/(SJ&E)/VIP/21

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINITER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा गृह पत्रिका '' राजभाषा सुभाषिनी '' का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष किए जाने पर हमारी ओर से हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के माध्यम से सभी राजभाषा हिन्दी का सम्मान करते हुए एवं दृढ़ संकल्पित होकर सरकारी काम–काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, जिससे संवैधानिक दायित्व के साथ–साथ आम जनता से जुड़कर लोकतांत्रिक दायित्व को भी भली–भांति निभा पाएंगे।

मुझे आशा है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री सूचनापरक व ज्ञानवर्द्धक होगी तथा सभी को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रेरित करेगी।

(ए. नारायणस्वामी)

Office: 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23072192, 23072193, Fax : 011-23072194
Residence : 401, Ganga Apartment, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23310480, 08194-235001
E-mail : mpchitradurgaanswamy@gmail.com, a.narayanswamy@sansad.nic.in

No. 192/VIP/MOS/(SJ&E)/2021

प्रतिमा भौमिक
PRATIMA BHOUMIK

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
251,"A" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 011-23383757, 23383745, Fax: 011-23074007
E-mail: Pratima.bhoumik@nic.in, mosoffice-depwd@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संदेश

भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होती है। भारत जैसे विशाल बहुभाषी देश में नागरिकों को एकसूत्र में बांधने व उनमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में हिन्दी भाषा की अहम भूमिका है। निःसंदेह हिन्दी भाषा की जड़े अत्यन्त गहरी हैं और देश के प्रत्येक कोने में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः हमें हिन्दी को और अधिक प्रचारित एवं प्रसारित करने की आवश्यकता है जिससे हिन्दी भाषा के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

मुझे आशा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका ''राजभाषा सुभाषिनी'' हिन्दी को बढ़ावा देने, निगम की योजनाओं को हिन्दी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, कार्यालय कार्य हिन्दी में करने व आपसी संवाद का माध्यम बनाने के लिए और अधिक प्रेरित व प्रोत्साहित करेगी।

मुझे यह भी आशा है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री सूचनापरक व ज्ञानवर्द्धक होगी तथा लक्षित वर्ग तक अपनी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु अवश्य प्रेरित करेगी।

पत्रिका के सफल संपादन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

प्रतिमा

(प्रतिमा भौमिक)

नई दिल्ली
दिनांक : 01.12.2021

R. Subrahmanyam, IAS
Secretary

Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice & Empowerment
Government of India

संदेश

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम प्रत्येक वर्ष अपनी गृह पत्रिका ''राजभाषा सुभाषिनी'' का प्रकाशन नियमित रूप से कर रहा है।

हिन्दी भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है तथा दुनिया भर में हिन्दी समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक भाषा के रूप में हिन्दी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। हिन्दी भाषा सरल, सहज और सुगम होने के साथ विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है।

मेरा ऐसा मानना है कि हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार में इस प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन विभिन्न दृष्टिकोणों से सार्थक एवं उपयोगी साबित होगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(आर सुब्रहमण्यम)

Room No. 604, 'A' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115, E-mail : subrahyd@gmail.com

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में कार्यनिष्पादन की झलक

क्र. स.	विवरण	8 वीं योजना	9 वीं योजना	10 वीं योजना	11 वीं योजना	12 वीं योजना (2012–17)	(2017–18) से (2020–21)	31.3.2021 से साल
1	बजटीय सहायता (रु. करोड़)	198.90	191.65	69.95	212.00	451.65	375.40	1499.40
2	वितरण (रु. करोड़)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2062.97	5638.48
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	5,76,217	28,76,580

गत् तीन वर्ष की उपलब्धियाँ

ऋण विरण

वितरण/रु. करोड़ में

लाभार्थी की संख्या

कौशल विकास प्रशिक्षण

वितरण/रु. करोड़ में

लाभार्थी की संख्या

सम्पादकीय

आपको वर्ष 2021 का अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। आशा है आपको हमारा यह अंक पसंद आएगा और हमें इस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

हमेशा की तरह इस अंक को भी उपयोगी एवं सार्थक बनाने का पूरा–पूरा प्रयास किया गया है। राजभाषा हिन्दी, परियोजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्त, निगमित सामाजिक दायित्व, मानव संसाधन विभाग के लेखों एवं साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से कार्यकलापों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है जिससे पाठकों को हमारे विभिन्न कार्यकलापों को बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हमने इस अंक को आकर्षक, रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक बनाने का पूरा प्रयास किया है।

मैं आशा करता हूँ कि 'राजभाषा सुभाषिनी' का यह अंक आपको पसंद आएगा। आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

– सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबंधक (कौशल विकास)
एवं राजभाषा प्रभारी

सम्पादक मण्डल

संरक्षक

श्री रजनीश कुमार जैनव
प्रबन्ध निदेशक

सम्पादक:

श्री सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबंधक (कौ.वि.) एवं
राजभाषा प्रभारी

सह-सम्पादक:

श्रीमती अनुपमा सूद
वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)

श्री मो. जावेद अहमद खाँ
स. प्रबंधक (राजभाषा)

पत्रिका में छपे लेख, कविताओं आदि की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की है। इसके लिए निगम प्रबन्धन अथवा सम्पादक मण्डल उत्तरदायी नहीं है।

यह पत्रिका मुफ्त वितरण हेतु है।

विषय सूची

1.	**प्रबन्ध निदेशक की कलम से**	12
2.	**एन.बी.सी.एफ.डी.सी. में राजभाषा के बढ़ते कदम** – सुरेश कुमार शर्मा, म.प्र. एवं राजभाषा प्रभारी फोटो : राजभाषा कार्यकलापों का छायांकन	13 14
3.	**लेख : निगमित सामाजिक दायित्व** – वी.आर.चारी, वरि.म.प्र. (मा.स. एवं सी.एस.आर.) फोटो: निगमित सामाजिक दायित्व	15 – 17 18
4.	**लेख : स्व-सहायता समूहों/व्यक्तियों के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता योजना एवं वार्षिक ब्याज दर सहित योजनाओं का विवरण** **फोटो: ऋण योजनाओं के अंतर्गत एवं आई.आई.टी.एफ., नई दिल्ली में भाग लेते हुए लाभार्थियों का छायांकन**	19– 21 22 –23
5.	**कार्यालयी कार्यों में प्रशासन विभाग का महत्व** – सुजय पी.जॉन, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन)	24 – 25
6.	**पी.एम.दक्ष योजना व पी.एम.दक्ष पोर्टल–सशक्तीकरण का आधार** फोटो: कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का छायांकन	26 27
7.	**लेख : कार्यालयीन हिन्दी का स्वरूप** – मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबन्धक (राजभाषा)	28 – 29
8.	**कविताएं :** – **नई राह** : मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबन्धक (राजभाषा) – **कविता** : सीमा सिंह, वरि. प्रबन्धक (कौ.वि.) – **माँ का प्यार** : संजीव शर्मा, प्रबन्धक (योजना) – **बचपन के दिन** : गीता पाण्डेय, प्रबन्धक (मा.स.) – **बचपन के वो दिन** : हरीश सती, अधिकारी (प्रशा.)	30 – 31
9.	**लेख : सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का महत्व** – अशोक कुमार नागर, स.प्रबन्धक (योजना)	32
10.	**कविताएं :** – **हार** : कीर्ति सिंह, सुपुत्री हरवीर सिंह, कार्यकारी – **गाँव और बचपन** : मुन्ना खालिद, कनि. कार्यकारी (परि.)	33
11.	**लेख : साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कुछ तथ्य** – रविन्द्र कुमार, अधिकारी (वित्त) **लेख– हिन्दी भाषा का महत्व** : राजेन्द्र कुमार, कार्यकारी	34 – 35
12.	**कविताएं :** – **लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल** : हरीश सती अधिकारी (वित्त) – **पर्यावरण** : सुखदेव सिंह, स. प्रबन्धक (वित्त)	36
13.	**कहानी : माँ** : रविन्द्र कुमार, अधिकारी (वित्त) **– जम्बु बोले ये गति भाई, तुम क्या बोले काग** – श्रीमती मार्यादी देवी माता श्री अशोक नागर, स. प्रबधक (योजना)	37 –38
14.	**कविताएं :** – **जीवन का सत्य** : श्रीमती रेखा पत्नी हरवीर सिंह, कार्यकारी – **निश्चय है अब जीना है** : अशोक कुमार नागर, स. प्रबन्धक (योजना)	39
15.	**लेख– आज़ादी का अमृत महोत्सव** – मुन्ना खालिद, कनि. कार्यकारी (परियोजना)	40
16.	**कविताएं: सुंदर कविता** : रविन्द्र कुमार, अधिकारी (वित्त) **हिन्दी मेरी मातृभाषा** : राजेन्द्र कुमार, कार्यकारी	41
17.	**लेख : लोकहितवाद – सशक्तीकरण का सशक्त आधार** : हरवीर सिंह, कार्यकारी **कविता: कोरोना की यादें** : गिरिश चंद, स. प्रबन्धक (मा.स.)	42
18.	**छायांकन – विदाई के छायाचित्र**	43
19.	**हिन्दी पखवाड़ा – 2021 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम**	44

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति द्वारा दिनांक 10.7.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भाग लेते हुए संसदीय समिति के माननीय सदस्य गण, संसदीय राजभाषा समिति कार्यालय के अधिकारीगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव (रा.भा. एवं प्रशा.), सहायक निदेशक व निगम की ओर से श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, श्री वी. आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा. सं.) एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी द्वारा भाग लिया गया।

प्रबन्ध निदेशक की कलम से

– रजनीश कुमार जैनव

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में आशा है कि हम अपने लक्षित वर्ग तक अपनी पहुच को और अधिक बढ़ा पाने में और उनके सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापों को गति प्रदान करने में सफल हो सकेंगे।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की राजभाषा गृह पत्रिका "राजभाषा सुभाषिनी" का वर्ष 2021 का अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा मेरा विश्वास है कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ लोक उद्यमों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति को एक नई गरिमा प्रदान करने के महान लक्ष्य का अनुकरण करते हुए इस निगम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली राजभाषा पत्रिका निगम के कार्यकलापों एवं राजभाषा के कार्यों को प्रतिबिम्बित करने में सफल हो सकेगी।

पूर्व अंकों की भांति पत्रिका के इस अंक में निगम के कार्यकलापों को प्रकाशित करने पर बल देते हुए राजभाषा कार्यकलापों को प्राथमिकता के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्मिकों की विभिन्न क्षेत्रों जैसे– कविता, साहित्य इत्यादि में लेखन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह अंक प्रकाशित किया गया है। आशा है प्रकाशित सामग्री पाठकों के लिए जानकारी प्रदान करने वाली व रूचिकर सिद्ध होगी।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि निगम ने राजभाषा के प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे कार्यों में उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की है। निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से रूचि ले रहे हैं, जिसके परिणाम फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियों एवं पत्राचार में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। निगम ने हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पणी लेखन में लगभग 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसे सरकारी उपक्रम से जुड़ा हुआ हूँ जिसका कार्य समाज के पिछड़े वर्गों के गरीब व्यक्तियों को उनके सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हेतु आसान ऋण एवं निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कराना है। निगम ने अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद लगभग 30 लाख लाभार्थियों को लगभग रू. 6000 करोड़ के ऋणों का वितरण किया है तथा 1.50 लाख से अधिक युवक एवं युवतियों को विभिन्न रोजगार–उन्मुख ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। हमें आशा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार जो हमारा प्रशासनिक मंत्रालय है, के सहयोग से ऋणों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से एक बड़ी संख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल हो सकेंगे।

मेरी यह इच्छा है कि भारत सरकार हिन्दी के बारे में हमसे जो अपेक्षा रखती है, उसमें हम खरे उतरें। हमारे लिए यह अत्यंत सकारात्मक पक्ष है कि हम निगम के लक्ष्यों और राजभाषा नियमों का अनुपालन साथ–साथ कर सकते हैं क्योंकि हमारे लक्षित वर्ग का अधिकांश भाग या तो हिन्दी भाषी है या हिन्दी भाषा को ही समझता है; अतः निगम के सभी कार्मिक अपने दायित्वों को समझते हुए इस तरह कार्य करें कि निगम अपने लक्ष्यों की पूर्ति भी कर सके और राजभाषा नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सके। मेरी तरफ से "राजभाषा सुभाषिनी" के प्रकाशन के लिए निगम के समस्त सदस्यों को बहुत–बहुत बधाई।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. में राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम

– सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबन्धक एवं राजभाषा प्रभारी

निगम ने बीते वर्षों में राजभाषा – हिन्दी के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की है। निगम में आरम्भ से ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है; जिसका समय–समय पर पुनर्गठन किया जा रहा है। समिति द्वारा निगम के राजभाषा सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा एवं विश्लेषण अपनी बैठकों के दौरान किया जाता है। समिति की नियमित रूप से तिमाही बैठकें आहूत की जाती है तथा लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

वर्तमान में निगम के वरिष्ठ प्रबन्धक स्तर एवं इससे ऊपर के अधिकारियों को समिति में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से निगम की कार्यान्वयन समिति में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व है। निगम के प्रबन्ध निदेशक समिति के पदेन अध्यक्ष है।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति द्वारा दिनाँक 17 जुलाई, 2021 को निगम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम में निगम की ओर से श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, श्री वी.आर.चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.सं.) एवं राजभाषा प्रभारी द्वारा भाग लिया गया। इसके साथ ही साथ मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (प्रशा.), एवं स. निदेशक द्वारा भाग लिया गया। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

निगम के प्रशासनिक मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को निगम की राजभाषा प्रयोग से संबन्धित तिमाही रिपोर्ट एवं कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्रेषित किए जाते हैं तथा सम्बद्ध मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से लगातार प्रशंसा एवं सुझाव पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

निगम ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी भाषा प्रशिक्षण, आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया है। हिन्दी कार्य करने में निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। निगम के आन्तरिक कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। पत्रावलियों पर अधिकांश टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जा रही है। निगम में हिन्दी पत्राचार प्रतिशत को भी बढ़ाए जाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है।

निगम में धारा 3 (3) का पालन किया जा रहा है। निगम द्वारा जारी सामान्य आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र इत्यादि द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में ही जारी किए जाते है। निगम में प्राप्त हिन्दी पत्रों के जवाब अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाते हैं तथा इसके अनुपालन हेतु समुचित चेक बिन्दु बनाए गए है।

निगम में प्रयुक्त की जाने वाली मुद्रित सामग्री जैसे फाइल कवर, लैटर हेड्स, नोटिंग, विजिटिंग कार्डस, लिफाफे, वाउचर, लेजर पंजिका इत्यादि द्विभाषी रूप में मुद्रित कराए जाते है। निगम के प्रकाशन जैसे – वार्षिक प्रतिवेदन, ब्रोशर, हैण्ड बिल्स, मेमोरैण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मुद्रण द्विभाषी किया जाता है। निगम के समस्त कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर साराश एवं गूगल इनपुट टूल का प्रयोग किया जा रहा है। निगम द्वारा माह सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर निगम के कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में निष्पादित किए जाने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। निगम की बैठकों में वार्तालाप प्रायः हिन्दी में किए जाते है। अतिश्योक्ति नहीं, इस अथक प्रयास से पिछले कई वर्षों से निगम के सामान्य वातावरण को हिन्दीमय अनुभव किया जा सकता है।

वर्ष 2021 के दौरान निगम द्वारा नराकास के तत्वावधान में 'हिन्दी समारोह' का आयोजन किया गया जिसमें सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, रा. भा. विभाग, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी., नराकास दिल्ली (उपक्रम–2) के सदस्य सचिव एवं सदस्य कार्यालयों के शीर्ष अधिकारियों, राजभाषा अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। इसके साथ ही साथ, नराकास के तत्वाधान में आयोजित विभिन्न तकनीकी कार्यशालाओं में भी निगम ने भाग लिया।

निगम के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, अतः निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

राजभाषा हिन्दी के विभिन्न कार्यक्रमों का छायांकन

निगम में वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में किया गया है। नराकास के तत्वावधान में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। तिमाही, छमाही एवं वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण किया गया। हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। वर्ष के दौरान 1 से 15 सितम्बर तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' एवं 14 सितम्बर को ''हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।

निगमित सामाजिक दायित्व

– वी. आर. चारी
वरि. महाप्रबंधक (ना.सं. एवं सी एस आर)

सामाजिक नवाचार के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने के लिए और उपयुक्त परियोजनाओं या कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बेहतर स्थायी जीवन शैली का निर्माण करने के लिए निगम निगमित सामाजिक दायित्व योजना (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार होगा, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जाता है। निगम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के तहत निगम को चालू वर्ष की अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिशेष) का कम से कम 2% खर्च करेगा।

सीएसआर की यह राशि सीएसआर अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए विशेष रूप से वर्ष के विषय(थीम) निर्धारित किये जाएंगे। वर्ष 2021–22 के लिए विषय(थीम) 'स्वास्थ्य और पोषण जिसमें COVID–19 पर विशेष ध्यान दिया जाना, अस्पताल और COVID–19 देखभाल सुविधाओं की स्थापना करना शामिल' है।

सीएसआर अनुसूची VII के तहत निम्न गतिविधियाँ सूचीबद्ध है:

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, 2 'स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना' और स्वच्छता 4 स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

(ii) विशेष शिक्षा और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना आदि ।

(v) इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (सीपीएमएफ) के पूर्व सैनिकों, और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण,

(viii) प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड), या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य फंड। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों

और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए;

(ix) (ए) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान; तथा

(बी) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।,

(ग) ग्रामीण विकास परियोजनाएं,

एनबीसीएफडीसी के बोर्ड ने 06.05.2016 को आयोजित अपनी 105वीं बोर्ड बैठक में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 27.02.2014 की शर्तों के अनुसार निगम की सीएसआर नीति को मंजूरी दी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (यानी सीएसआर के प्रावधान) की प्रवर्तनीयता को अधिसूचित किया। और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों की शर्तें।

तदनुसार, निगम ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से चैनल भागीदारों और प्रतिष्ठित संस्थानों यानी आईआईटी, आईआईईं, अन्नामलाई विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित वीओ आदि से प्राप्त विभिन्न सीएसआर योजनाओं / प्रस्तावों को लागू किया है।

कंपनी संशोधन नियम 2021 के तहत अधिसूचित 22.01.2021 राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-22012021-224640 दिनांक 22.01.2021 के तहत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने धारा 135 और उस के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोधित वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए निर्देश जारी किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 460 की धारा (1) और (2), संशोधन "सीएसआर नीति" के तहत कंपनी के बोर्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और दिशा को ध्यान में रखते हुए एक बयान है। इसकी सीएसआर समिति की सिफारिशें और गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

सीएसआर नीति के अनुसार समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित धारा के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 यह है कि एक कंपनी वालू वर्ष की अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिशेष) का कम से कम 2% खर्च करेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए एनबीसीएफडीसी का वैधानिक बजट 58.59 लाख रुपये है।

निगम की सीएसआर नीति के अनुसार एनबीसीएफडीसी ने सीएसआर अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए चैनल पार्टनर से प्रस्ताव आमंत्रित किए और विशेष रूप से वर्ष के विषय के लिए अर्थात "स्वास्थ्य और पोषण जिसमें COVID-19 पर विशेष ध्यान दिया गया है। अस्थायी अस्पताल और अस्थायी COVID-19 देखभाल सुविधाओं की स्थापना करना सहित" है।

कॉरपोरेशन ने चैनल पार्टनर्स से भी अनुरोध किया कि वे रजिस्ट्रार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीएसआर- I फॉर्म भरकर केंद्र सरकार के साथ अपने संगठन को पंजीकृत करें और पत्र में पंजीकरण के लिए लिंक साझा करें। एनबीसीएफडीसी ने रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म सीएसआर-I भी दाखिल किया है। एनबीसीएफडीसी

के फॉर्म सीएसआर – I पंजीकरण अनुमोदन पत्र संख्या सीएसआर 00003186 है।

निगम वर्ष के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना में सभी क्षेत्रों अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को कवर कर रहा है।

निगम ने चालू वर्ष के दौरान अब तक निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है: –

1. COVID–19 राहत 'प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को सुंदरबाग झुग्गी बस्तियों, मुंबई में COVID–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 7500 भोजन पैकेटों का वितरण, ट्रिप्स- डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, महाराष्ट्र के माध्यम से किया। (NSFDC और NBCFDC की संयुक्त सीएसआर पहल के अंतर्गत)
2. COVID–19 राहत 'डीजे हल्ली स्लम, बेंगलुरु में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, परित्यक्त और वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को 7500 भोजन पैकेटों का वितरण, यूनाइटेड फाउंडेशन (टीयूएफ), के माध्यम से (एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी की संयुक्त सीएसआर पहल के अंतर्गत)।
3. COVID–19 राहत 'दिल्ली एनसीआर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, परित्यक्त और वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को 4500 भोजन पैकेटों का वितरण सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ़ यूथ एंड मस्सेस (एसपीवायेएम) के माध्यम से (NSFDC और NBCFDC की संयुक्त CSR पहल के अंतर्गत)
4. COVID–19 राहत 'दिल्ली एनसीआर में COVID–19 रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रावधान नेट्रस आई फाउंडेशन (NEF), दिल्ली के माध्यम से 1000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के आशय से किया (NSFDC और NBCFDC की संयुक्त CSR पहल के अंतर्गत)
5. COVID–19 राहत 'COVID–19 महामारी (अप्रैल–मई 2021) की दूसरी लहर के दौरान SDH EDMC, दिल्ली में COVID–19 रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान" स्वामी दयानंद अस्पताल – एसडीएच, ईडीएमसी नई दिल्ली के माध्यम से 2000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के आशय से किया (एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी संयुक्त सीएसआर पहल के अंतर्गत)
6. COVID–19 राहत 'आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल, मोती नगर रोड, नई दिल्ली में COVID–19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का प्रावधान' कर्मसाक्षी सेवा संस्थान के माध्यम से । (NSFDC और NBCFDC की संयुक्त सीएसआर पहल के अंतर्गत)
7. एनबीसीएफडीसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत जेएंडके और तमिल नाडु में 28 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वचालित सेनेटरी नैपकिन वेंलडग मशीन और भस्मक स्थापित करने का कार्यक्रम स्वीकृत किये जिससे लगभग 15000 बालिकाए लाभान्वित होनी अपेक्षित है ।
8. एनबीसीएफडीसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत गुवाहाटी, असम में COVID–19 – प्रभावित रेहड़ी–पटरी वालों और रिक्शा चालकों और हाथ ठेला चलाने वाले (ठेला) जैसे दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को न्यूनतम आजीविका सहायता के लिए तीन सौ परिवारों के लिए सूखा राशन किट प्रदान करने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के माध्यम से किया जिससे लगभग 1500 व्यक्ति लाभान्वित हुए ।
9. एनबीसीएफडीसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा ओबीसीकॉर्पोरेशन लिमिटेड को 'रानीर बाजार, पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा में शौचालय ब्लॉक के निर्माण' के लिए स्वीकृत दी जिससे लगभग 500 व्यक्ति लाभान्वित होने अपेक्षित है।
10. एनबीसीएफडीसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत 'महाराष्ट्र के बीड जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक फाइबर पानी के टैंकों (18 टैंकों) के प्रसार' के लिए आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से परियोजना को स्वीकृत दी है।
11. एनबीसीएफडीसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर एससी, एसटी और ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेह जिले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के थिकसे गांव (किलिबक) में आइस–हॉकी प्रैक्टिस रिंक का निर्माण के लिए स्वीकृत दी है।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कार्यक्रमों का छायांकन

निगम ने वर्ष के दौरान अपनी निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में हरियाणा के गरीब इलाकों के कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, असम एवं उड़ीसा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भोजन किट और आवश्यक वस्तुओं का वितरण, केरल में यौन कुमर्यों, एच. आई. वी. अनाथ बच्चों के लिए रात्रि भोजन का वितरण, मध्य प्रदेश के सेवा आश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एक माह के राशन का वितरण, असम, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर में गरीब एवं बेघर लोगों को कंबल का वितरण, पंजाब में गरीब बच्चों को बैग, स्टेशनरी और गर्म कपड़ों का वितरण, दिल्ली, बिहार एवं हरियाणा राज्यों में सैनेटरी नैपकीन, वैल्डिंग मशीन एवं इंसीनरेटर की स्थापना, हरियाणा में पारंपरिक कला और हस्तकला के संवर्धन व विकास के कार्यक्रमों का आयोजन, स्वास्थ्य हेल्थ चेक–अप, दवाइयों एवं आँख के चश्मों का वितरण, कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर मास्क, सैनेटाइजर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पी.पी.ई. किट का वितरण, ट्रांसजेंडरों हेतु स्वास्थ्य एवं जीवन–यापन संबंधी विभिन्न सहायताएं आदि उपलब्ध कराई गई हैं।

स्व-सहायता समूहों/व्यक्तियों के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना)

– अनुपमा सूद
वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)

हमारे निगम ने वर्ष 2020–21 में 5% वार्षिक दर से ब्याज की सब्सिडी की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने के उद्देश्य से ''विश्वास योजना'' लागू की है जो बैंकों वित्तीय संस्थानों के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निगम ने VISVAS PORTAL बनाया है जिसमें पात्र लाभार्थियों के दावे भेजे जाते हैं। जिसे PFMS से सत्यापित कर सीधे लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े खाते में 5% ब्याज की छूट प्रदान की जाती है। योजना की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है:

1. **उद्देश्य :**

वर्ष 2020–21 के दौरान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने एक नई ब्याज सहायता योजना– वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (VISVAS) योजना को ऐसे स्व–सहायता समूहों जिसमें ओ.बी.सी.के लाभार्थियों के लिए जिन्होंने रु. 4.00 लाख तक के एवं ओ.बी. सी. के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए जिन्होंने रु. 2.00 लाख तक ऋण/उधार प्राप्त किए हैं, आरंभ की है। यह मॉडल उधार लेने वाले एस.एच.जी./लाभार्थियों के मानक खातों में तुरंत ब्याज लाभ देता है।

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य पात्र स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.)/व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम ब्याज दर का सीधे खाते में लाभ प्रदान करना है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और इसी तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है। ऐसे सभी संस्थानों को इसमें इसके बाद ऋण प्रदाता संस्थाएं कहा गया है।

2. **क्रियान्वयन एजेंसियाँ :**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ & E) के तहत एक केन्द्रीय लोक उद्यम है।

3. **मुख्य विशेषताएं :**

3.1 ऐसे सभी ओ.बी.सी. स्व–सहायता समूह (100% ओ.बी.सी. स्व–सहायता समूहों को) जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB), सहकारी बैंकों गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों–सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC&MFIs) इत्यादि से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि हेतु रु. 4.00 लाख तक का ऋण/कैश क्रेडिट प्राप्त किया होगा, तो उनके मानक खाते 5% वार्षिक ब्याज दर की सब्सिडी के पात्र होंगे। उपरोक्त चैनल सहभागियों (सी.पी.) द्वारा लक्षित वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के पात्र व्यक्तियों को दिए गए रु. 2.00 लाख तक के सावधि ऋण/सूक्ष्म वित्त ऋण लेने वालों के मानक खातों के लिए भी ब्याज सहायता उपलब्ध होती है।

3.2 विश्वास योजना के तहत केवल ऐसे ऋण प्राप्तकर्ता पात्र होते हैं जिन्हें किसी अन्य ब्याज सहायता योजना या किसी अन्य एजेंसी (NBCFDC एवं NRLM सहित) की रियायती वित्त योजना के तहत कवर नहीं है।

4. **व्यक्तियों एवं स्व–सहायता समूहों के लाभार्थियों की योग्यता:**

4.1 NBCFDC एन.आर.एल.एम./एन.यू.एल.एम. और नाबार्ड के साथ पंजीकृत स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को मान्यता देता है और जिनका कम से कम दो साल का क्रेडिट इतिहास है और जिसमें सभी सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

4.2 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की परिभाषा में जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर समय–समय पर ओ.बी.सी. की राज्य और/या केंद्र सरकार की सूची में अधिसूचित सभी जातियां सम्मिलित हैं।

4.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, एस.एच.जी. के सभी सदस्यों/व्यक्तियों की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों को ध्यान दिए बिना रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने वालों की योग्यता के निर्धारण हेतु निम्न मानकों को स्थापित किया जा सकता है:

5.3.1 राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध वार्षिक आय प्रमाण पत्र.

5.3.2 ए.ए.वाई. कार्ड धारकों और अन्य व्यक्ति जो एस.ई.सी.सी.–2011 के संदर्भ में संबंधित बी.डी.ओ. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार तीन या अधिक अभावों का सामना कर रहे हैं।

5.3.3 कृषि कार्यकलापों में शामिल और पी.एम. किसान के तहत कवरेज पाने वाले सभी ओ.बी.सी. लाभार्थी ब्याज सहायता के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

5. **ब्याज सहायता को दावा करने के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों की योग्यता:**

ऐसे ऋण प्रदाता संस्थान जिन्होंने NBCFDC की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किए हैं।

6. **दावों का प्रस्तुतिकरण:**

पात्र स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को प्रदान किए गए ऋणों की मूल राशि/नकद क्रेडिट खातों की उधार सीमा रू. 4.00 लाख तक की ब्याज सहायता के लिए तिमाही दावा निर्धारित प्रारूप में चैनल सहभागी (सी.पी.) द्वारा लाभार्थियों के बैंक विवरण के साथ 'विश्वास पोर्टल' पर अपलोड किया जाता है।

इसी प्रकार से, सावधि/सूक्ष्म वित्त ऋण के तहत मानक खातों के लिए रू. 2.00 लाख तक के त्रैमासिक ब्याज सहायता का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है।

7. **ब्याज सहायता के हस्तांतरण के लिए तौर–तरीके:**

ब्याज सहायता 5% प्रति वर्ष की दर से पात्र एस.एच.जी./व्यक्तिगत खातों के लिए निर्धारित प्रारूप में ऋण–प्रदाता संस्थान से त्रैमासिक दावा प्राप्त होने पर जारी किया जाता है और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट (www.nbcfdc.gov.in) पर होस्ट की जाने वाली योजना 'विश्वास पोर्टल' में एस.एच.जी./लाभार्थियों के बैंक विवरण अपलोड करने पर जारी किया जाता है। सहायता का हस्तांतरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) या इसी तरह के मंच के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाता है।

8. **निगरानी एवं मूल्यांकन :**

इस योजना की निगरानी केंद्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाएगी। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. नियमित रूप से क्षेत्र स्तरीय निरीक्षण द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

निगम ने पहली बार सीधे लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े खाते में सहायता भेजी है तथा पोर्टल में 'वास्तविक समय प्रगति' दर्शाई जाती है, जो लाभार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। आशा है भविष्य में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने प्रशासनिक मंत्रालय के कुशल नेतृत्व में लाभार्थियों के लाभ हेतु अन्य लाभकारी योजनाओं को इसी तरह से पारदर्शिता के साथ लागू करता रहेगा जिससे लक्षित वर्ग लाभान्वित होगा।

वार्षिक ब्याज दर सहित योजनाओं का विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा (रु./लाख)	वित्तीय पद्धति #		ब्याज की दर प्रति वर्ष ##		पुनर्भुगतान अवधि (छः महीने की अधिस्थगन अवधि सहित)
1.	सावधि ऋण		एनबीसीएफडीसी	एससीए/लाभार्थी	एससीए/बैंक	लाभार्थी	
i)	सामान्य ऋण योजना	15.00	85%	15%	रु. 5.00 लाख तक		8 वर्ष
					3%	6%	
					रु. 5.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक		
					4%	7%	
					रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 15.00 लाख तक		
					5%	8%	
ii)	शैक्षिक ऋण योजना ^ (क) भारत में	15.00	90%	10%	1%	4%	अधिकतम 15 वर्ष (बैंक नॉर्म अनुसार)
	(ख) विदेश में	20.00	85%	15%	1%	4%	
iii)	न्यू स्वर्णिमा योजना	2.00	95%	05%	2%	5%	8 वर्ष
2.	सूक्ष्म वित्त						
i)	सूक्ष्म वित्त योजना	1.25 ★★	90%	10%	2%	5%	4 वर्ष
ii)	महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए)	1.25 ★★	95%	05%	1%	4%	4 वर्ष
iii)	लघु ऋण योजना	1.25	85%	15%	3%	6%	8 वर्ष

यदि ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जायेगा तो राशि की उपलब्धता मांग के अनुसार एनबीसीएफडीसी के ऋण का अंशदान 100% रहेगा। सावधि ऋण की समय पर पुनर्भुगतान पर ब्याज में 0.5% की छूट रहेगी।

लक्षित वर्ग के विकलांग व्यक्तियों (40% या अधिक) के लिए ब्याज दर पर 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

^ आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए तथा योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

★ छात्राओं के लिए ब्याज दर 3.5% प्रति वर्ष।

★★ प्रति समूह अधिकतम ऋण राशि रु. 15.00 लाख ।

- *हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का प्रमुख श्रोत है।*
- *भारत की सच्ची आत्मा का ज्ञान हिन्दी द्वारा ही हो सकता है।*
- *हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का प्रमुख श्रोत है।*

-सुमित्रानंदन पंत

निगम की ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त लाभार्थियों का छायांकन

निगम ने अपने लक्षित वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है। वर्तमान में निगम राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि के माध्यम से लक्षित वर्ग की जरूरत की परियोजनाओं हेतु ऋण सहायता उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में भारत भर में 43 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ एवं 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निगम के साथ जुड़ हुए हैं जो निगम की योजनाओं को लक्षित वर्गों तक पहुंचाने में निगम की सहायता करते हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भाग लेते हुए लाभार्थियों का छायांकन

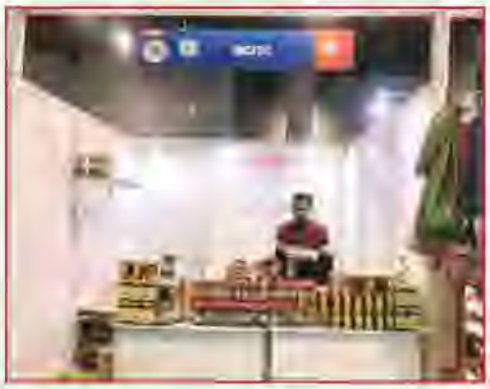

निगम ने वर्ष के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भाग लिया। इस मेले में निगम की योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त 21 लाभार्थियों ने भाग लिया जिन्हें निगम द्वारा निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए। इस मेले में असम, त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना एवं तमिलनाडु राज्यों के लाभार्थियों द्वारा अपने उत्पादों के साथ भाग लिया गया। इन उत्पादों में सिल्क की साड़ियाँ एवं वस्त्र, केन एव बांस से निर्मित सामान, ब्रास से निर्मित सामान, फूल झाड़ू, स्क्रू पाइन, अचार, शहद, मुरब्बे, पापड़, मगोड़ी, बड़ी, आर्टीफिशियल ज्वैलरी, लकड़ी के खिलौने, पोटरी इत्यादि सम्मिलित थे।

कार्यालयी कार्यों में प्रशासन विभाग का महत्व

– सुजय पी. जॉन
मुख्य प्रबंधक (प्रशा.)

किसी भी कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक विभाग की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। समस्त विभाग अपनी–अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर समग्र रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से, प्रशासन विभाग की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण होती है। यह विभाग समस्त कार्यालयी कार्यों के निष्पादन हेतु मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध कराता है जो कार्यालय के कार्यों को सुगमता से पूरा करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। यद्यपि प्रशासनिक कार्यों का क्षेत्र कार्यालयों की प्रकृति एवं शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अनुसार घट–बढ़ सकता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक कार्य सहायक कार्य होते हैं जो मुख्य कार्यों के निष्पादन में अपना सहयोग करते हैं।

कार्यालय कार्यों के संचालन के प्रबंधन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को निष्पादित करना होता है। कार्यालय में प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए समुचित निगरानी, समन्वयन, निर्देशन, नियंत्रण एवं अति महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित करने पर बल देना आदि का प्रयोग किया जाता है। निगम में प्रशासन विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है:

स्टेशनरी की खरीद एवं आपूर्ति

- कार्यालय कार्यों के कुशलता पूर्वक निष्पादन के लिए उपयुक्त गुणवत्तायुक्त एवं किफायती स्टेशनरी की पर्याप्त खरीद करना।
- कार्यालय मानकों के अनुसार गुणवत्तायुक्त कागज, पेन, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी आइटम खरीदता है, स्टॉक को बनाए रखता है और उन्हें मांग पर कार्मिकों को जारी करता है।

कार्यालय के कम्प्यूटरों, उपकरणों और फर्नीचर की व्यवस्था

- कार्यालय में कार्यों के सुचारू रूप से करने के लिए उचित कम्प्यूटरों, लैपटॉप, उपकरणों, फर्नीचर आदि की आवश्यकता होती है।
- कार्यालय नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से इन वस्तुओं की खरीद की व्यवस्था करता है।
- विभागों और कर्मचारियों को उचित उपयोग की सुविधा के लिए कम्प्यूटरों, लैपटॉप, उपकरणों, फर्नीचर आदि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ जरूरत के मुताबिक प्रतिस्थापन, रखरखाव, सर्विसिंग की व्यवस्था भी करना है।

कार्यालय का निर्माण एवं नवीकरण

- उपयुक्त कार्यालय स्थल एवं सुविधाएं किसी कार्यालय की अपरिहार्य आवश्यकता होती है।
- इसमें डिजाइनिंग, सिटिंग प्लान, आवश्यकतानुसार सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है।
- इन आवश्यकताओं का आकलन, आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात उनकी व्यवस्था करना प्रशासन विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक होता है।

परिसंपत्तियों की सुरक्षा

- एक संगठन में विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियाँ होती हैं। आवश्यकतानुसार परिसंपत्तियों को वर्ष–दर–वर्ष बढ़ाने, निस्तारण करने अथवा सुरक्षित रखने का दायित्व प्रशासन विभाग का होता है।
- आग, चोरी आदि विभिन्न कारणों से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों की रक्षा की जानी

होती है। परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कार्यालय द्वारा एक कुशल नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

जनसंपर्क

- एक संगठन अपने अस्तित्व और प्रगति के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठा और सद्भावना पर निर्भर करता है।
- जनसंपर्क बनाए रखना भी प्रशासन के दायित्वों में से एक है। इसके लिए डाक प्राप्ति, डाक को भेजना, रिसेप्शन की व्यवस्था आदि कार्य सीधे तौर पर जुड़े होते हैं।
- दैनिक आधार पर आगन्तुकों के साथ होने वाली बैठकों, समारोहों आदि की व्यवस्था का दायित्व भी प्रशासन का होता है।

कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्मिकों एवं आगन्तुकों हेतु उपयुक्त व्यवस्था, कार्यालय परिसर की समग्र स्वच्छता का दायित्व प्रशासन विभाग का होता है, जिसके माध्यम से कार्मिकों को कार्य करने का एक स्वच्छ एवं खुशनुमा माहौल मिलता है।

नियमित अंतराल पर वाशरूम की सफाई, कार्यालय में डस्टिंग, पोछा इत्यादि के माध्यम से कार्यालय को साफ-सुथरा रखा जाता है इसके अतिरिक्त, प्रशासन विभाग को आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों को निष्पादित करना होता है जो अपरिहार्य स्थितियों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक होते हैं। निगम ने कोरोना महामारी के दौरान पिछले दो वर्षों से सरकार की इस संबंध में जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन करते हुए सैनेटाइजर, मास्क इत्यादि को उपलब्ध कराया है।

विशेष प्रोत्साहन योजनाएं

निगम में हिन्दी में कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाएं :-

1. सर्वाधिक पत्र लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान / अधिकारी वर्ग हेतु)
2. सर्वाधिक हिन्दी नोटिंग लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह दौरान /अधिकारी वर्ग हेतु)
3. सर्वाधिक हिन्दी नोटिंग लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान / कर्मचारी / वर्ग हेतु
4. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना (वार्षिक योजना /अधिकारी वर्ग हेतु)
5. राजभाषा सुभाषिनी में प्रकाशित लेखों व कविताओं में सर्वश्रेष्ठ लेख व कविता हेतु पुरस्कार

सबको हिन्दी सीखनी चाहिए, इसके द्वारा भाव-विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।

-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

पी.एम.दक्ष योजना व पी.एम.दक्ष पोर्टल - कौशल सशक्तीकरण का आधार

– सुश्री रंजना
प्रबंधक (कौ.वि.)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) द्वारा वर्ष 2012–13 से निगम की कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (SDTP) योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये गये है। वर्ष 2020–21 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पी. एम दक्ष) योजना लांच की गयी तथा तभी से निगम द्वारा पी.एम–दक्ष योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना – अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.बी.सी, डी.एन.टी, सफाई कर्मचारी और अन्य समान श्रेणियों सहित स्वच्छता कार्यकर्ताओं को कवर करने वाले हाशिए के व्यक्तियों को कुशल बनाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित समूह के वर्गों की योग्यता और निपुणता में सुधार करना है जिससे वे अपने व्यवसायों के अन्दर अपनी आय सृजन क्षमता में सुधार कर सके, महिलाएं स्वरोजगार के कार्य कर खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना सके तथा युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर विशेषज्ञता प्राप्त कर बेहतर नौकरी हासिल कर सकें।

पी.एम–दक्ष योजना के तहत NBCFDC द्वारा अपने लक्षित समूह जिसमे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.00 लाख तक है (बिना किसी वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड के गैर–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति को कौशल विकास प्रशिक्षण कराये जा रहे है। इस योजना के अंतर्गत निम्न 4 तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते है।

(i) अप–स्किलिंग/पूर्व शिक्षा की मान्यता: – ग्रामीण कारीगरों, घरेलू कामगारों, जैसे मिट्टी के बर्तन, बुनाई, बढ़ईगीरी, घरेलू कामगारों आदि के लिए प्रशिक्षण के साथ–साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। इन कार्यक्रमों की अवधि 32 से 80 घंटे/एक महीने तक की है तथा प्रशिक्षण के दौरान मानदेय के रूप में प्रशिक्षणार्थियों को रु. 2,500/– का प्रावधान भी है।

(ii) अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT): – MSDE द्वारा जारी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) / राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) के अनुसार 200 घंटे से 600 घंटे/5 महीने तक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते है। प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के साथ–साथ वेतन रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों हेतु भी ध्यान दिया जाता है। गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पात्र प्रशिक्षुओं को रु. 1000/– प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी मानदेय दिया जाता है।

(iii) उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP): आम तौर पर 80 घंटे (10 दिनांक) तक RSETI/MORD के कार्यक्रमों के आधार पर तैयार पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान व्यापार के अवसर हेतु मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, कार्यशील पूंजी और उसके प्रबंधन, व्यवसाय योजना तैयार करने आदि पर सत्र लिए जाते है ।

(iv) लंबी अवधि के पाठ्यक्रम (LTT): 6 महीने और उससे अधिक और आमतौर पर 1 वर्ष तक, जैसा कि प्रशिक्षण केंद्र के संबंधित बोर्ड / नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है; के अनुसार उत्पादन तकनीक प्लास्टिक प्रसंस्करण, परिधान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में NSQF, NSVET, AICTE, MSME aligned कोर्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते है। गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पात्र प्रशिक्षुओं को रु. 1000/– प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी मानदेय दिया जाता है।

पी.एम. दक्ष योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2021 को पीएम दक्ष पोर्टल एवं मोबाइल एप लांच की गई है। इस पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से अब कोई भी लाभार्थी पोर्टल व मोबाइल ऐप के माध्यम से पी. एम. दक्ष योजना के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु अपना मंजीकरण करा सकता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। पी. एम. दक्ष पोर्टल व ऐप की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार

- स्किलिंग जीवनचक्र का सम्पूर्ण कवरेज
- पी.एम. दक्ष पोर्टल व ऐप के माध्यम से उम्मीदवार प्रशिक्षण सम्बंधित जानकारी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवधि, स्थान आदि की जानकारी प्राप्त कर अपना ऑनलाइन मंजीकरण कर सकते है तथा पोर्टल/एप पर ही अपने दस्तावेज जमा कर सकते है।
- ए.आई आधारित चेहरे व आँख की स्कैनिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है व उसकी पूरी जानकारी पी. एम. दक्ष पोर्टल पर उपलब्ध होती है।
- पी. एम. दक्ष पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी होने से यह पारदर्शिता व बेहतर मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करता है।
- निधियों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए पी.एफ.एम.एस के साथ एकीकरण और डी.बी.टी के माध्यम से मानदेय सीधे प्रशिक्षणार्थियों के खाते में जारी किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएम दक्ष योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.pmdaksh.dosje.gov.in पर पंजीकरण कर सकते है।

प्रशिक्षण के बाद पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से मानदेय की राशि भी प्रदान की जाती है व स्वरोजगार में सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

निगम की कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का छायांकन

निगम अपने लक्षित वर्गों को विभिन्न रोजगार उन्मुख ट्रेडों में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। निगम अपनी कौशल विकास प्रशिक्षण योजना "पी एम –दक्ष" के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में अब–तक 1.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है। यह प्रशिक्षण प्रमुखतः सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाते हैं। इन प्रशिक्षणों में दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 महीने से 1 वर्ष), अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (500 घंटे), अप–स्किलिंग कार्यक्रम (32 से 80 घंटे) एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (90 घंटे तक) उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशिक्षण की प्रमुख ट्रेड्स हैं कपड़ों की सिलाई एवं कटिंग, सीविंग मशीन ऑपरेटर, फैब्रिक चेकर, कॉल वॉडिंग आपरेटर, कारपेंटरी, लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन, ई.डी. पी , हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, जेरिएटिक एड, ब्यूटी थैरेपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, पिकल मेकिंग, फैशन डिजाइनर, हैण्डलूम वीवर, टायर फिटर, मोबाइल फोन टेक्नीशियन, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, वेल्डर, पावरलूम ऑपरेटर, सोलर पैनल टेक्नीशियन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एकाउंट एक्जीक्यूटिव, कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखा में डिप्लोमा, पी.जी. –कम्प्यूटर अप्लीकेशन, रिटेल सेल्स एसोशिएट्स, मेडिकल लेबोटरी टेक्नीशयन, मेडिकल रिकार्ड एवं हेल्थ इनफारमेशन टेक्नीशियन, सैम्पलिंग को–ऑरडीनेटर, ज्वैलरी रिटेल सेल्स एसोसिएट्स, अगरबत्ती बनाना, वेयरहाउस पिकर, मेसन, क्रिकेट बैट बनाना आदि।

कार्यालयीन हिन्दी का स्वरूप

– मो. जावेद अह. खाँ
स. प्रबंधक (रा. भा.)

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ''कार्यशाला संदर्शिका'' में कार्यालयी हिन्दी के स्वरूप को भली–भाँति समझाया गया है। इस पूरी पुस्तिका का अध्ययन केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर जा कर किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में इसी पुस्तिका से सार को ग्रहण किया गया है।

भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार एवं विकास किया जाना है जिससे भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए।

सामान्य बोल–चाल की भाषा से सरकारी कामकाज की भाषा थोड़ी भिन्न होती है, फिर भी जहां तक संभव हो उसे जनसामान्य की भाषा के समीप ही रखा जाना चाहिए। कार्यालयीन हिन्दी का संपूर्ण स्वरूप सरकारी कामकाज की कार्य प्रणाली और उसके पीछे निहित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है। कार्यालयीन हिन्दी भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार बताई गई है:

कार्यालयीन भाषा की पहली विशेषता उसका सरल एवं स्पष्ट होना है। प्रायः यह समझा जाता है कि हिन्दी भाषा अत्यंत कठिन है किन्तु ऐसा मात्र उन्हीं कार्मिकों द्वारा समझा जाता है जिनके अध्ययन का माध्यम हिन्दी नहीं रहा है। ऐसे कार्मिक जिन्होंने हिन्दी माध्यम से अपनी पढ़ाई की है उनके लिए हिन्दी ही आसान भाषा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी भाषा सरल या कठिन नहीं होती है। निर्भर इस बात पर करता है कि हमने किस भाषा को ग्राह्य किया है। किसी व्यक्ति में भाषा के ज्ञान की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसने उस भाषा को कितना समय दिया है। हम निरंतर प्रयासों से भाषा के शब्दों एवं उसके प्रयोगों से अपने भाषाई ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। अतः हमें हिन्दी ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसका दैनिक कार्यों में प्रयोग करना, समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ना, लिखने का अभ्यास करना, वार्तालाप करना आदि माध्यमों से हम हिन्दी भाषा के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमें आरंभ में तो कठिन लगते हैं किन्तु बार–बार उसका प्रयोग करने से हम उससे परिचित हो जाते हैं और जो न तो कठिन प्रतीत होते है और दुष्कर होते हैं जैसे– स्वीकृति, अनुमोदन, मांग–पत्र, परियोजना, वित्त, कौशल विकास, तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता आदि–आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिन्दीतर भाषा–भाषी कार्मिक भी आसानी से लिखते और बोलते हैं। अतः भाषा को समृद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रयोग किया जाए।

कार्यालयीन भाषा में जहाँ तक हो सके सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत कठिन एवं प्रयोग में न आने वाले पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इससे लिखना भी आसान होगा और पढ़ने वाला व्यक्ति/अधिकारी उसे आसानी से समझ भी सकेगा।

कार्यालयीन भाषा की दूसरी विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। सरकारी कामकाज की भाषा सदैव संक्षिप्त होनी चाहिए। अनावश्यक एवं मुद्दे से इतर तथ्यों को नहीं लिखा जाना चाहिए। जितना लिखा जाना आवश्यक हो, उतना ही लिखा जाना चाहिए। अतः भाषा निश्चित होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए।

अर्थ की स्पष्टता भी कार्यालयीन भाषा की एक प्रमुख

विशेषता है। हमें पत्र, आदेश, परिपत्र, टिप्पणी लेखन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम लिख रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्टता निर्णय लेने को बाधित करती है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है और उसे जिस अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है, उसका मात्र वहीं अर्थ प्रकट भी होना चाहिए। शब्द द्विअर्थी या अनेकार्थी नहीं होना चाहिए।

दूसरी भाषा के प्रचलित शब्दों की ग्राह्यता भी कार्यालयीन भाषा की एक विशेषता में से है। प्रत्येक भाषा तभी चिर जीवंत होती है, जब तक वह दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करती रहती है। इससे भाषा अपने बाहरी परिवेश से स्वयं को अनुकूल बनाती है और यही भाषा की समृद्धि का प्रमुख घटक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत से अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को स्वैच्छिक रूप से ग्रहण किया गया, जो भारतीय सामाजिक ताने–बाने का अंग बन चुके थे। भारत सरकार की नीति है कि इस प्रकार के शब्दों में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर, टाइपिस्ट, डायरी, टिकट, टोकन, स्टेशनरी, पेन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि तमाम शब्दों को हिन्दी भाषा ने अपना लिया है और इन दूसरी भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार किसी भी दृष्टि से हिन्दी की समृद्धि के लिए हितकर नहीं माना जा सकता है।

वाक्य विन्यास भाषा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अकेले शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब शब्द शब्द से मिलकर वाक्य बनाता है तो उसका अर्थ प्रकट होता है। कॉमा, पूर्णविराम आदि भी वाक्य का अंग होते हैं। अतः कार्यालीय भाषा में सदैव जटिल वाक्य विन्यास से बचना चाहिए। वाक्य विन्यास सरल होना चाहिए और शब्दों का प्रयोग सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति ने भाषा की एकरूपता पर विशेष बल दिया है। उनका मत था कि जब–तक भाषा में एकरूपता नहीं होगी, तब–तक वह कठिन रहेगी तथा देश को एक सूत्र में भी बांधा नहीं जा सकेगा। भाषा से संबंधित विभिन्न शब्दों के प्रयोग को देखते हुए एवं एकरूपता लाने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित 'प्रशासनिक शब्दावली' के प्रयोग का आग्रह किया गया है।

अतः यह कहा जा सकता है कि कार्यालयीन हिन्दी सरल, स्पष्ट हो, अपने आप में संक्षिप्ततता लिए हो, उसमें अर्थ की स्पष्टता हो, दूसरी भाषा के शब्दों का बिना हिचक प्रयोग किया जाए, वाक्य विन्यास सरल हो तथा भाषा में एकरूपता हो। यह सभी विशेषताएं जहाँ एक ओर कार्य को आसान बनाती हैं वहीं दूसरी ओर शब्दों की मितव्ययिता पर भी बल देती हैं। इन विशेषताओं के साथ किया गया कार्य भाषा की गुणवत्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट होता है एवं आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय लेने का एक प्रबल आधार तैयार करता है।

अंत में यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि केन्द्र सरकार के उपक्रम का एक कार्मिक होने के नाते संविधान में किए गए उपबंधों, राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, लक्ष्यों इत्यादि को प्राप्त करना एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है। यदि हिन्दी भाषा में कार्य करने में कोई कठिनाई है तो राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अथवा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण,प्राज्ञ के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर हिन्दी में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। जिन कार्मिकों को कुछ समस्याएं हैं वे अपने संस्थान/निगम के राजभाषा विभाग के अधिकारी से किसी भी समय सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी में कार्य करने हेतु एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा लें। आपकी प्रतिज्ञा के सम्मुख कोई भी बाधा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है।

[illegible]

-प्रेमचंद

नई राह

कैसा ये विरोधी स्वर है,
कैसा फैल रहा ज्वर है।
कोई हैरान, कोई परेशान है,
कोई हैवानियत का पहने परिधान है।।

अच्छे–बुरे का भेद आता नहीं उसे,
बस वो हर बात पर तैयार रहता है।
उसे इस बात का भी इल्म नहीं जरा,
मासूमियत में गुमराह कोई करता है।।

कोई कई दिनों तक,
अपने काम पर नहीं जाता।
बूढ़ा बाप अपने बच्चे की चिंता में
रात को सो नहीं पाता।।

वो डरता है उस मंजर से,
जिसमें खो देते हैं तमाम अपनों को।
दुकानें और घर लुट जाते हैं,
तबाह कर जाते हैं जिन्दगी के सपनों को।।

उन्माद में उजड़ जाते हैं कई घर,
किसी का सिंदूर, किसी का दीपक बुझ जाता है।।
पर वे इससे नहीं कर सकते हैं दर–गुज़र,
उन्हें तो बस नफरत से सुकूँ आता है।।

चलो छोड़े विरोध, गुमराहियत को
हम मासूम से बन जाते हैं।
इन्सानियत के खातिर अब
मसाल प्यार की जलाते हैं।।

– मो. जावेद अहमद खाँ
स. प्रबंधक (रा.भा.)

कविता

प्रकृति में खोकर किया गया,
प्यार भरा वर्णन है कविता।
किसी के प्रति प्रेम,
जताने का जरिया है कविता।।

जाहिर करना हो जाए आसान,
वो जरिया है कविता।
शब्दों की लड़ी से दिल खोलना,
वो नज़रिया है कविता।।

अपने संस्कारों से,
मिलवाती है कविता।
इतिहास की घटनाओं सें,
रू–ब–रू करवाती है कविता।।

– सीमा सिंह
वरि. प्रबन्धक (कौ.वि.)

माँ का प्यार

मुझ पर मेरी माँ के प्यार,
का उधार यू ही रहने दो।
बड़ा प्यारा है ये कर्ज,
कर्जदार मुझे रहने दो।।

वो आँखें जो झलकती हैं,
मेरे हर एक गम में, खुशी में।
उन प्यारी आँखों में सदा,
प्यार बेशुमार रहने दो।।

महज दयामयी नहीं है,
माँ बगिया है विश्वास की।
प्यार, स्नेह के फूलों से,
गुलजार इसे रहने दो।।

– संजीव शर्मा
प्रबन्धक (योजना)

कविताएं

बचपन के दिन

ऐ वक्त .....ले चल उसी बचपन मे,
जहाँ न कोई ज़रूरत थी
ना कोई ज़रूरी था
वो बचपन के दिन भी कितने हसीन थे,
जहाँ पर बस वक्त ही वक्त था.....

ना मतलब की दोस्ती थी
ना दोस्ती का मतलब था
बस बचपन ही बचपन था .....
जहाँ ना कोई सबल था ना कोई दुर्बल
ना ही धर्म या अधर्म का ज्ञान
ना मन–मस्तिष्क में कोई दुराभाव था
ना दोस्ती का अर्थ था
ना अर्थ का कोई तर्क था
बस बचपन ही बचपन था .....
अब ले चल उसी बचपन में
जहाँ पर बस वक्त ही वक्त था
न अहसास–ए–एहतराम था
न मजबूरी का अहसास था
ना पाने की ललक थी
न खोने का अहसास था....
बस बचपन ही बचपन था...
जहाँ पर बस वक्त ही वक्त था .....
जहाँ बस मासूम बचपन था.....
बस वक्त ही वक्त था।।

– गीता पाण्डेय
प्रबन्धक (मा.स.)

बचपन के वो दिन

कुछ यादें ताजा करते हैं।
कुछ बीती बातें करते हैं।।
मुददत हो गई मिले हुए।
चल यार कभी हम मिलते हैं।।

चल फिर साइकिल को चलाते है।
सड़कों पर उसे दौड़ाते हैं।।
चल उन सेक्टर की गलियों के ।
चक्कर चार लगाते हैं।।

चल छत पर गपशप करते हैं।
चल थोड़ी मस्ती करते हैं।।
अपने उन पुराने गानों पर।
चल डांस रात भर करते हैं।।

चल फिर रातों को जागते हैं।
चल मिलकर फिर हम पढ़ते हैं।।
किताब निकाल गणित की तू।
हल प्रश्नों को करते हैं।।

चल आ मैदान में क्रिकेट खेलें।
चल आ फिर किसी की खिड़की तोड़ें।।
लगा कर शर्त समोसों की फिर।
तीन मैच की सिरीज खेलें।।

चल होली पर हुड़दग करें।
चल सबको फिर रंगों से रंगें।।
नाचें गाएं घर के आँगन।
चल एक–दूजे के गले लगें।।

– हरीश सती
अधिकारी (प्रशा.)

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का महत्व

– *अशोक कुमार नागर*
स. प्रबंधक (योजना)

सही मायने में देखा जाए तो सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का महत्व स्वत:स्फूर्ति दृष्टिगत होता है जबकि शेष राज्यों के कार्यालयों में प्रयोग स्वत:स्फूर्ति न होकर सरकारी नियमों का अनुपालन अधिक दिखाई पड़ता है। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब–तक वह अपनी राजभाषा/राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं करता है।

यह एक सत्य तथ्य है कि भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिन्दी भाषा बोलती और समझती है लेकिन कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में लोग गर्व महसूस करते हैं। संविधान ने हिन्दी को केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में स्थापित किया है। हम सभी को संविधान की भावना का आदर करते हुए उसे उसके वास्तविक स्थान पर विराजमान करने का प्रण लेना चाहिए।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने कहा है कि ''निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय के शूल'' का तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार की उन्नति में भाषा का स्थान मूल है और यदि हमें अपनी ही भाषा का ज्ञान नही होगा तब मन की पीड़ा काँटे की भाँति कष्ट देती है।

राजभाषा का महत्व कार्यालयी कामकाज में इतना प्रबल होना चाहिए कि उसके प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना है कि कार्यालयी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को अनिवार्य कर देना चाहिए। अहिन्दी भाषी कार्मिकों के भाषा प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए।

राजभाषा हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप मिलना चाहिए। एक राष्ट्र एक भाषा। राजभाषा हिन्दी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सामाजिक–राजनीतिक प्रयासों से इसे व्यापक विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है।

अपने कार्यालयी परिसर में लोगों को अपनी स्थानीय भाषा में खूब धड़ल्ले से हिन्दी में वार्तालाप करते हुए हम सुनते हैं जो हमारी राजभाषा की महत्ता समझने के लिए पर्याप्त है। निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक महोदय, श्री के. नारायण जी ने राजभाषा हिन्दी का बखूबी प्रयोग किया। उन्होंने कार्मिकों को हिन्दी के प्रयोग हेतु जागरूक भी किया तथा इसमें अभिवृद्धि हेतु सार्थक प्रयास भी किए। इसी का परिणाम है आज अधिकांश फाइलों पर टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जा रही हैं और पत्र मूल रूप से हिन्दी में ड्राफ्ट किए जा रहे हैं।

सरकारी कामकाज में राजभाषा का बहुत ही महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी इसके महत्व को समझें और स्वेच्छा से खुशी–खुशी इसका प्रयोग करें इससे सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिकांश लोगों तक सुगमता से पहुंच सकती है और अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल।

-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

कविताएं

हार

मोती का हार हो या हीरो का
हमें दोनों लुभाते भी है और हम इन्हे संजोना
भी चाहते है
परन्तु जब हमें जिन्दगी में हार मिलती है
तो क्यों हम इसे संभाल नही पाते,
क्यों हम डर जाते है ।
क्यों हम आगें नही बढना चाहते ।
क्यों हम इसकी मूल्यता नही पहचान पाते ।
ये हार ही तो है जिन्दगी मे जीत का रास्ता
बनाती है, जो जिन्दगी का अर्थ समझाती है ।
क्यों हम भूल जाते है कि ये हार नही है जो
हमें जीतने से रोकती है बल्कि हमारा डर है
जो हमें दुबारा कोशिश करने से रोक लेता है ।
सफलता का पथ हार से होकर जाता है
हम जब बच्चे थे क्या हम एक ही बार में
बोलना चलना खेलना पढना सीख गये थे
क्या हम एक बार नही हारे
क्या उस हार के बाद हमने दोबारा कभी
कोशिश नही की
क्या हम दुबारा नही हारें
जिन्दगी के इस पथ में बहुत कुछ सीखना है
हम बार बार क्यों न हारे
परन्तु हम तब तक प्रयास करेगें जब तक हम
जीत न जाए
मनुष्य सिर्फ एक बार हारता है
जब वह प्रयास करना बन्द कर देता है और
हम कभी भी प्रयास करना बन्द नही करेंगें
क्योंकि खोने के लिए कुछ नही
पर पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है ।

– कीर्ति सिंह
पुत्री श्री हरवीर सिंह
कार्यकारी

गाँव और बचपन

मैं जाना चाहता हूँ,
काली रात के अंधेरे वाले
उन अतरंगी खेलों मे
अपने बेमतलबी दोस्तों के बीच
वृक्ष की छाँव में
बुजुर्गों की कहानियों में
अपनों के समीप
फिर से,

मैं जाना चाहता हूँ,
उस नदी के किनारे पर
पहाड़ों की आड़ में
जंगल के बीचो बीच
फिर से

हरियाली की ओर
नन्हें–नन्हें पाँव से
हरे–भरे खेतों के बीच
मै जाना चाहता हूँ,
अपनेपन में
मै जाना चाहता हूँ,
फिर से बचपन मे।

– मुन्ना खालिद
कनि. कार्यकारी (परि.)

हिन्दी प्रेम की भाषा है।
-महादेवी वर्मा

साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कुछ तथ्य-आम ग्राहकों के लिए

–रविन्द्र कुमार
अधिकारी (वित्त)

भारतीय कानून में साक्ष्य एक महत्वपूर्ण निर्णायक की भूमिका अदा करता है। साक्ष्य ही किसी भी कानूनी मामले का वह अंग होता है जिस पर कोई निर्णय निर्भर करता है। इसके महत्व व अपरिहार्यता को देखते हुए भारत में एक अलग से अधिनियम लागू किया गया है जिसे "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" के रूप में जाना जाता है। साक्ष्य एक ऐसा तत्व है जो सिविल एवं क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होता है साक्ष्य को मौखिक एवं लिखित दोनों ही रूपों में न्यायालयों में स्वीकार किए जा सकते है। साक्ष्य की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि साक्ष्य विचाराधीन मुद्दों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो या घटना के कारकों को आपस में जोड़ने से सम्बंधित हो। ऐसे साक्ष्य जो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते है वो अस्वीकार होते हैं। किसी भी घटना के दो प्रमुख बिंदु है; मेंस रिया (आपराधिक मनःस्थिति) और ऐक्टस रिया (आपराधिक कृत्य का घटित होना) को साबित करने के लिए हमें साक्ष्य कि आवश्यकता होती है।

"साक्ष्य" शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु या बात जो उस प्रश्न को न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सके, वह साक्ष्य है। यह अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जाता है। इस अधिनियम की प्रस्तावना यह दर्शाती है कि अधिनियम व्यापक है; क्योंकि यह साक्ष्य विधि के कुछ तत्वों को परिभाषित करता है और कुछ का संशोधन तथा एकत्रीकरण करता है।

सन 1850 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया था: साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उन्हें अधिशासित करती है, कोई व्यक्ति सक्षम साक्षी है या नही, कोई तथ्य लिखित द्वारा साबित होता है या नहीं, कोई साक्ष्य किसी तथ्य को साबित कर पा रहा है या नहीं यह सब उस देश की विधि के अनुसार तय होता है जिसमें ये प्रश्न उठता है, जिस स्थान पर उपाय का पालन और निष्पादन होना है वह न्यायालय का स्थान है।

साक्ष्य दो प्रकार के होते है मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी दिया जा सकता है। दाण्डिक मामलों में भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है जिसमें विडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है ।

यह अधिनियम सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कार्यवाही को तब न्यायिक कहा जाता है जब जाँच के लिए दोनों ओर से साक्ष्य दिया जाना हो, सभी पक्षकारो को सुनाई का अवसर देना हो और फिर विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय करना हो। इसलिए न्यायालय शब्द में सभी न्यायधीशों तथा मजिस्ट्रेटों को धारा 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है जो विधि के द्वारा साक्ष्य ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है।

यह अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता क्योंकि शपथकर्ता का कथन साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता जब तब कि वह स्वय न्यायालय में पेश होकर उन तथ्यों की गवाही न दे जो उसने शपथ पत्र में कहे है।

धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं होते है परन्तु जब न्यायालय का आदेश हो कि किसी तथ्य का सबूत शपथ पत्र से लिया जाए तो वह साक्ष्य हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के 2002 के संशोधन द्वारा शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य पेश करने कि सुविधा प्रदान की गई है।

शपथ पत्र, साक्ष्य शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। शपथ पत्र केवल तब साक्ष्य बन सकता है जब विधि द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई हो कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

इसके अतिरिक्त, साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज भी सम्मिलित है, जिसमें किसी घटना को अभिलिखित किया गया है। यह धारा एक प्रकार से साक्ष्य के प्रकार बताती है उसकी परिभाषा नहीं देती है । जो परिभाषा इस तथ्य में दी गई है उससे केवल दो प्रकार के साक्ष्य लिए गए है, अर्थात गवाहों के कथन तथा दस्तावेज। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का साक्ष्य हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए जब कोई न्यायधीश स्वयं मौके का निरीक्षण करने जाता है और उस जगह का नक्शा बनता है तो यह भी एक साक्ष्य है; यद्दपि यह न तो किसी गवाह का मौखिक कथन है और न ही कोई ऐसा लिखित दस्तावेज है जो पक्षकारों ने पेश किया है ।

प्रभावी साक्ष्य ही निर्णायक परिणाम की मजबूत आधारशिला का सृजन करते है ।

हिन्दी भाषा का महत्व

– राजेन्द्र कुमार
कार्यकारी

हिंदी एक भाषा ही नहीं है बल्कि हिन्दी के द्वारा पूरे भारतवर्ष के लोग एक–दूसरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ सकते है एवं देश को तरक्की के स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हिन्दी भाषा की व्यवहारिकता से पता चलता है कि हिंदी में काम करना बहुत सरल है, पर उसके प्रति हमें हिन्दी पढ़ने और लिखने की उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन भारत के अधिकांश लोग अंग्रेजी को मुख्य एवं एकमात्र भाषा के रुप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों द्वारा लाई गई है एवं भारत के अधिकांश लोगों को अंग्रेजी अच्छी तरह समझ में नहीं आती है।

हिंदी का उत्थान भारतवर्ष में सदियों पहले से था और यह भाषा भारत के प्रत्येक के व्यक्ति के मन में पैठ बना चुकी है। भारत के सभी लोग बचपन से ही हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं। हिन्दी इतनी सरल भाषा है कि इसका उपयोग करना बहुत आसान है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर जनता कम पढ़ी–लिखी या अशिक्षित है। हिन्दी भाषा के माध्यम से ही हम उनका अच्छा विकास कर सकते हैं। आज भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 तक हिन्दी में ही पढ़ाई की जाती है। हिन्दी भाषा का ग्रामर भी काफी आसान होता है और इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इस भाषा को सीखने के लिए बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है।

भारत में हिंदी के बिना सारा काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहा के 75 से 80 प्रतिशत लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है। अगर उन लोगों से वाद–विवाद करना हो तो हिंदी को जानना आवश्यक है। हिन्दी सीखने में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां तक कि दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी मूवी एवं हिन्दी सीरियल आदि देखकर हिंदी सीख जाते है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल गरीब, बड़े–छोटे सभी लोग आसानी से कर सकते हैं और इस भाषा में अपनी भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं।

भारत में लोगों की मातृभाषा हिंदी होने की वजह से उन्हें बोलने और समझने में असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। अधिकतर लोग बिना स्कूल गए भी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। हिन्दी में शब्दों की भरमार है एवं इस भाषा में भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अगर लोगों को लगता है कि हिंदी का भविष्य अच्छा नहीं है तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी में बोलने में असुविधा होती है, इसलिए में हमें अधिकतर कार्य अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए।

लौह पुरूष सरदार बल्लभभाई पटेल

31 अक्टूबर का वो दिन था, जब देश को एक रत्न मिला।
गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में, सरदार पटेल का जन्म हुआ।।
बचपन से ही प्रतिभावान थे, वकील बने खुद पढ़-लिखकर।
अपनी मेहनत और लगन से, बन बैठे वो बैरिस्टर।।

आजादी की लड़ी लड़ाई, अंग्रेजों से लोहा लिया।
अपनी बातों और दलील से, उन गोरों को हरा दिया।।
पहले गांधी जी के साथ, खेड़ा में संघर्ष किया।
फिर बारडोली सत्याग्रह से, सरदार नाम को ग्रहण किया।।

भारत को एकसूत्र बांधने का यत्न किया।
रियासतों को किया इकट्ठा, सुन्दर भारत का सृजन किया।।
एक सूत्र में हमकों बांधा, हमको एक संविधान दिया।
एकता से कैसे रहें हम, हमको इसका ज्ञान दिया।।

इनके दृढ़ संकल्प के आगे, सबने सर को झुकाया था।
क्या निजाम क्या नवाब क्या राजा, सबने हाथ मिलाया था।।
ठान लिया एक बार जो मन में, उसको पूरा करके दिखाया।
भारतीयकरण कर आईसीएस को, इन्होंने आईएएस बनाया।।

भारत के निर्माण का, सपना इन्होंने पूर्ण किया।
तब भारत की जनता ने इनको, लौह पुरूष का नाम दिया।।
भारत रत्न सरदार पटेल का, कुछ ऐसे सम्मान करें।
हाथ जोड़ नतमस्तक होकर, आओ इन्हें प्रणाम करें।।

जन्मदिवस पर इनके हम सब, आओ मिलकर प्रण ये करें।
जिस भारत को विशाल बनाया, खंडित उसको हम ना करें।।

– हरीश सती
अधिकारी (प्रशा.)

पर्यावरण

वृक्ष हमें जीवन देते, वृक्षों को हम करें प्यार।
प्रदूषण का करते खात्मा, शुद्ध करते हमारी आत्मा।।

पर्यावरण का करे गुणगान, यही देता हमें प्राण।
वृक्ष हमारी रक्षा करते, भोजन में भी मदद करते।।

वृक्षों का हम करें सम्मान, यही हमारे बचाते प्राण।
वृक्ष लगाएं जीवन बचाएं, यही हम भाव औरों को सिखलाएं।।

धरती को यदि बचाना है, वृक्ष हमें लगाना है।
वृक्ष यदि नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगें।।

कमर पर सिलेन्डर उठाएंगें, आँखों से आंसू आएंगे।
सभी को जागरूक बनाएंगे, अधिक वृक्ष लगाएंगें।।

– सुखदेव सिंह
स. प्रबधक (वित्त)

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।

-महात्मा गाँधी

हिन्दी हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आने वाली भाषा है।

-राहुल सांकृत्यायन

कहानी

माँ

– रविन्द्र कुमार
अधिकारी (वित्त)

दरवाजे की घंटी बजते ही बड़ा बेटा शशांक दरवाजे की ओर बढ़ा तो देखा, सुमन थकी – हारी खड़ी थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और एक मीठी सी मुस्कान के साथ माँ का स्वागत किया। शशांक माँ को सोफे पर बैठा कर पानी लेने चला गया। सोफे पर बैठी सुमन ऐसी लग रही थी जैसे न जाने कितने वर्षों से सोई ना हो। थकी हुई लगे भी क्यों ना, सुबह सवेरे प्रीति जो न आई थी। प्रीती जो हर रोज घर पर काम करने आती थी और रोज की दिन – चर्या में उसका हाथ बंटाती थी, और ऊपर से सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर पर काम। सुमन यह सब सोच ही रही थी कि तभी शशांक पानी के साथ–साथ चाय भी ले आया और मुस्कुराते हुए बोला ''मम्मी योर टी प्लीज''। सुमन धीरे से मुस्कुराई और शशांक को अपने पास बैठकर सारे दिन का हाल पूछा।

चाय पीने के बाद वो वहीं सोफे पर बैठी थी और न जाने कब उसकी आँख लग गई। रात को जब मैं घर पहुँचा तो छोटे बेटे ऋशांक ने बताया कि मम्मी तो सो गई और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं धीरे से मुस्कुराया और कहा कोई बात नहीं, आज डिनर हम बनाएगें और आप की मम्मी को सरप्राइज देंगे। शशांक ने अपनी सहमति जताई और मेरे साथ काम में हाथ बटाने को राजी हो गया।

मैं, तुरंत कपड़े चेंज कर हाथ मुह धो कर किचन में आ गया और ऋशांक से पूछा !

आज क्या खाओगे ?

ऋशांक तुरंत अपनी पसंद की सब्जी फ्रीज से निकाल कर ले आया और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने देखा आलू– टमाटर! मैं मुस्कराया क्योंकि मुझे पता था कि उसे आलू पूरी सबसे ज्यादा पसंद है।

मैंने जल्द ही सब्जी को प्रेशर कुकर में चढ़ाया और सोचने लगा मानो जैसे कल ही की बात हो, जब सुमन पहली बार मुझ से मिली थी और न जाने कब उसके कदम मेरे कदमों के साथ चल पड़े। हम कितनी बेसब्री से मिलने का इंतजार किया करते थे और जब मिलते तो हम अपनी बातों में इतना डूब जाते कि कब शाम हो जाती, पता ही न चलता था। मैं उन यादों में खोया था कि कूकर की सीटी ने मेरा सारा ध्यान भंग कर दिया और वापस मुझे किचन में ले आया। मैंने तुरंत ऋशांक को कहा कि मम्मी को खाना खाने के लिए उठाओ ।

ऋशांक मन ही मन मुस्कराते मम्मी को सरप्राइज देने के इरादे से कमरे की ओर बढ़ा और मम्मी को डिनर के लिए जगाने लगा। गहरी नींद में सोई सुमन को कुछ पता ही न चला कि ऋशांक उसे जगाने कि कोशिश कर रहा है। ऋशांक ने फिर कहा माँ, खाना तैयार हो गया है, खाना खा लो, लेकिन सुमन फिर भी नहीं उठी। ऋशांक के बार–बार बोलने के बाद भी जब सुमन नही उठी तो वह मायूस हो कर मेरे पास आया और बोला मम्मी खाना खाने के लिए नहीं उठ रही।

मैं मुस्कराया और पूछा। आपने क्या बोला? ऋशांक ने अपना संटेंस दुबारा दोहराया कि मम्मी खाना रेडी हो गया है, खाना खा लो।

मैंने कहा गलत, आप बोलो माँ उठो मुझे भूख लगी है। ऋशांक दुबारा सुमन के पास गया और बोला माँ उठो मुझे भूख लगी है। सुमन तुरंत हडबड़ाई सी उठी और रसोई की तरफ आई और मुझे देख बोली, अरे ! आप, कब आये ? पता ही नहीं चला ! और ये क्या, मैं अपने आप बना लेती। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब रेडी है, आज आप भी हमारे हाथ का खाना खा कर देखो। वो धीरे से मुस्कुराई और गर्दन हिलाते हुए बोली, आप भी ना। फिर उसने कुकर में देखा आलू–टमाटर की सब्जी! तो उसे समझते देर न लगी कि यह ऋशांक कि फारमाईस होगी, वो फिर मुस्कुराई और

उसने फटाफट पूरी बनाना शुरू कर प्लेट लगा कर बच्चों को दी।

दोनों भाईयों ने खाना शुरू ही किया था कि मैंने देखा ऋशांक कुछ मन ही मन सोच रहा था। मैंने पूछा क्या सोच रहे हो ?

ऋशांक बोला, आपने ऐसा क्यों बोला कि मै ये बोलूं कि मुझे भूख लग रही है और बोलते ही मम्मी उठ गई। तब, मैंने उसे समझाया और बताया कि वो माँ है, वो खुद भूखी सो सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी। सभी माँ ऐसी ही होती है वो खुद भूखा रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नही सोने देती।

सुमन धीरे–धीरे पूरिया लाती रही और ऋशांक मम्मी को निहारता हुआ चुपचाप खाना खाता रहा। रात होने पर वह सुमन के पास जाकर उसी के साथ बिस्तार पर लेट गया और माँ को देखते – देखते न जाने कब उसकी आँख लग गई।

कहानी

"जम्बु बोले ये गति भाई, तुम क्या बोले काग" ।

बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे। राजा ने अपने पुत्र का विवाह दूसरे राज्य के राजा की पुत्री के साथ बड़े ही धूम – धाम से कर दिया। एक दिन राजा का पुत्र और वधू राजमहल में रात्रि विश्राम कर रहे थे। राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था और उनकी धरमपत्नी चादनी रात में राजमहल की छत पर टहल रही थी। अर्ध रात्रि का समय था नदी की धारा में एक लाश बहती चली जा रही थी। लाश के साथ–ही साथ एक बहुत ही भूखा जंतु (भेड़िया) अपनी भाषा में यह कहते हुए नदी के किनारे चलता चला जा रहा था कि, अगर कोई मेरी बात समझ रहा हो तो इस शव को किनारे लगा दे जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं, और इसके दोनो जांघ में पड़ी मणि को निकाल ले जिससे वह बहुत ही धनवान हो जायेगा। रानी ने पशु – पक्षियों की भाषा का अध्ययन किया था, जन्तु भेड़िया की बात सुन रानी ने मणि निकालने का फैसला किया और लाश को किनारे लगाकर दोनों मणियों को निकाल लाई, और भेड़िया अपना भोजन करने लगा। रानी ने दोनों मणियों को आले में सुरक्षित रख दिया, तब–तक राजकुमार की नींद खुली तो देखा कि रानी के कपड़े भीगे थे, और उसके तन से भीषण दुर्गन्ध आ रही थी। राजपरिवार ने रानी को डायन और मुर्दाखोर का आरोप लगाकर राजमहल से बाहर कर दिया। सुबह राजा और सैनिक रानी को उसके माँ – बाप को सौंपने हेतु लावलश्कर के साथ चल दिए। रास्ते में एक टापू पर सूखे पेड़ पर बैठा कौआ अपनी भाषा में बोल रहा था कि यदि कोई मेरी भाषा समझ रहा हो तो इस पेड़ के नीचे मणियों का खजाना है, खजाने के ऊपर एक अजगर बैठा है। अजगर को मारकर बाहर फेंक दे जिससे मैं भर पेट भोजन कर सकूं, और वह खजाना अपने घर ले जाये। कौआ की बात सुनकर रानी ने कहा कि "जन्तु बोले ये गति भई, तुम क्या बोले काग" रानी की बात राजा सुन रहा था, उसने रानी से इसका मतलब पूछा लेकिन रानी ने मतलब बताने से मना कर दिया। राजा ने जिद किया और कहा कि जब–तक इसका मतलब नहीं बताओगी तब–तक तुम्हे तुम्हारे मायके नहीं पहुँचाया जायेगा। रानी ने विवश होकर कौवे की बात बताई। राजा सच्चाई जानने के लिए टापू को खोदवाया और सभी बातें सच निकली। पुनः राजा ने रानी से रात्रि में राजमहल से बाहर जाने, कपड़े भीगे होने और दुर्गन्ध वाली बात पूछी, किन्तु रानी ने मना करते हुए कहा कि कृपया सारा खजाना ले लो और अब मुझे मेरे मायके पहुचा दीजिए। राजा ने अनुरोध किया कि कृपया सारी बात बता दें तो आपको तुरन्त आपके मायके पहुचा दिया जायेगा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा पुनः रानी को बाइज्जत राजमहल में बतौर पुत्रबहू ले आया।

इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि, बिना सच्चाई जाने किसी को आक्षेपित नहीं करना चाहिए।

– श्रीमति मर्यादी देवी माँ
माता जी श्री अशोक कुमार नागर
स. प्रबंधक (योजना)

कविताएं

जीवन का सत्य

जाने वाले चले गये ।
अपने पीछे न जाने कुछ रिश्ते पीछे छोड़ गये

रिश्ते अपने थे बेगाने थे
मरने पर भी जान न पाये
श्रद्धा के कुछ फूल लिये जो लोग आये थे
वे अपने थे बेगाने थे या ड्यूटी देने आये थे
हम चले नए जीवन की ओर रोने का महत्व नही
जीवन का महत्व आगे बढ़ना है
लो हम आगे बढ़ चले

अपने पीछे कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़ चले
रिश्ते के भंवर में डूबे थे जीवन जैसे भूले थें
लो ड्यूटी आज समाप्त हुई बन्धन सारे टूट गये
कुछ सालों हम भी याद रहे फिर यादे भी भूल गये

अब पूरी तरह से आजाद हुए
चिन्ता सारी खत्म हुई पृथ्वी लोक तो देख चले
अब स्वर्ग और नर्क की बारी है
स्वर्ग नही नर्क नही है कर्म का लेंख
तुम्हारा है ।

– श्रीमती रेखा
पत्नी श्री हरवीर सिंह
कार्यकारी

निश्चय है अब जीना है।

निश्चय है अब जीना है।

नहीं भूमि है, सदन नहीं है,
नहीं शान है, सम्मान नहीं है।
नहीं वसन तन पर लेकिन,
पीर नहीं अब पीना है।
निश्चय है अब जीना है।।

नहीं निवाला थाली में,
पेय नहीं है प्याली में।
निशदिन मरे उनकी खातिर,
अश्रु नहीं अब पीना है।
निश्चय है अब जीना है।।

जान बचाया, बच न पाया,
तेज धूप से छाँव न पाया।
हिम्मत–दिनकर अंतर जागा,
निर्भय मरण से जीना है।
निश्चय है अब जीना है।।

– अशोक कुमार नागर
स. प्रबंधक (योजना)

देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है।

-सुभाषचन्द्र बोस

आजादी का अमृत महोत्सव

– मुन्ना खालिद
कनि. कार्यकारी (परि.)

"आजादी का अमृत महोत्सव" भारतवर्ष की 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत कभी मानवता के लिए जाना जाता था। प्राचीनकाल में भारत सबसे उन्नत देश था, लेकिन कई सालों तक पराधीन होने की वजह से हमारे भारत की स्थिति बदल गयी। भारत आज के समय में निर्धन, दुर्बल और सिकुड़ कर रह गया है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी हम काफी सालों तक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सके। हमने विदेशी संस्कृति तथा विदेशी भाषा और वेशभूषा को अपना लिए हैं और स्वतंत्र होने के बावजूद भी मानसिक रूप से पराधीन ही हैं।

देश के पराधीन होने की वजह से हम विदेशी संस्कृति और सभ्यता से बुरी तरह प्रभावित हैं और आज स्वतंत्र होते हुए भी अपनी संस्कृति और भाषा को भूलते जा रहे हैं।

इस साल हम भारत के स्वतंत्र होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जिसको भारत सरकार ने "आजादी का अमृत महोत्सव" नाम दिया है। इस दिन भारत देश ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने अपनी जान की बलि देकर देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया।

आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए भी मना रहे हैं ताकि विदेशी संस्कृति को भूल कर अपनी संस्कृति को अपना सकें।

'आजादी का अमृत महोत्सव' हमें यह भी अहसास दिलाता है कि हम किसी भी राजनैतिक, सांस्कृतिक और किसी भी प्रकार की पराधीनता को न अपनाएं। प्रत्येक राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब वह स्वतंत्र रूप से हो जो देश या जाति स्वाधीनता का मूल्य नहीं समझते हैं और स्वाधीनता को हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करते वे किसी न किसी दिन पराधीन जरूर हो जाते हैं।

सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए' आजादी का अमृत महोत्सव 'कंपेन लॉन्च किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान के जरिए आजादी के जश्न मनाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। भारत का राष्ट्रगान जिसे गाते वक्त हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राष्ट्रगान, जिसे गाते वक्त हर एक देशवासी सावधान की स्थिति में खड़ा हो जाता है, वही राष्ट्रगान को भारी संख्या में गाने के लिए सरकार द्वारा यह कैंपेन चलाया गया है। इसके लिए सरकार ने www.rashtragaan.in वेबसाइट लॉन्च की है, जहाँ स्वयं को पंजीकृत करके विडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं।

इसका मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है, जिनसे भारत की आजादी का इतिहास जुड़ा है। साथ ही डिजिटल तरीके से राष्ट्रगान को एक साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाना भी इसका एक मकसद है। इस बार जो विडियो रिकॉर्ड हुए उनको लालकिले और एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया गया।

इस पहल पर केन्द्रीय एवं संस्कृति मंत्री जी " किशन रेड्डी " ने कहा " सभी बड़े–बड़े लोगों से .., बुद्धिजीवियों से .., शिक्षाविदों से, फिल्मकारों से .., क्रिकेटरों से . और सभी से अपील करता हूँ कि अपने फोन में राष्ट्रगान गाकर www.rashtragaan.in पर अपलोड करें। मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर इसका हिस्सा बनें। यह जनता का उत्सव बनना चाहिए, यह सरकार का उत्सव नहीं है।"

हमें "आत्मनिर्भर भारत–शक्तिशाली भारत–स्वावलंबी भारत" के सपनों को सत्य करते हुए अपनी कर्तव्य–परायण भावना का परिचय राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए ताकि हम इतने शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकें, ताकि भविष्य में कोई भी आसुरी शक्ति भारत की ओर मुँह उठाकर न देखें। हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दी है, उसे हम सुरक्षित रखना है तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहना है।

कविताए

सुन्दर कविता

हिन्दी पखवाड़ा आया है देखो कितना है जोश।
लिखनी है फिर से एक कविता यही सोच उड़
गए मेरे होश।

लिखूं क्या यही सोच कर दिल मेरा घबराए
नया कुछ लिखने का सूझे न कोई उपाय।

नए शब्दों की इस उलझन में हो गई रात से भोर
नए नए शब्द ऐसे नाचे मन में जैसे कोई मोर।

कहा से लाऊँ रचना कविता सूझे न कोई ठोर
यहाँ वहाँ ऊपर और नीचे देखूं ऐसे जैसे कोई चोर।

लिखने के इस चक्कर में कई पी गया चाय की मैं प्याली
सोच सोच कर जी घबराये उड़ गई चेहरे की मेरी लाली।

छुटकन और सती से मैं बोला दे दो कोई हर्फ
लिखने की ये बात सोच लोटे जी में मेरे सर्प।

छंद सोरठा दोहा कविता लिखने और मिटाने में हो गया
मेरा फजीता।
जावेद भाई अब आप ही बतायें, कैसे बनाऊ सुन्दर सी
कोई कविता।।

– रविन्द्र कुमार
अधिकारी (वित्त)

हिन्दी मेरी मातृभाषा

हिन्दी माँ है, हिन्दी देश का अभिमान
हिन्दी से आती है, देश सेवा का गुमान।।

हिन्दी है पहचान हमारी, हिन्दी में संस्कार।
हिन्दी की ताकत है ऐसी, जिससे सदा मिलता
प्यार।।

हिन्दी से ही पूर्ण राष्ट्र को, एकता में पिरोया है।
हिन्दी है मेरी राष्ट्रभाषा, हिन्दी से सबको प्रेम।।

हिन्दी से मिलती हमें, सदा उच्च विचार।
साहित्य सृजन, कला, संस्कृति, सौन्दर्य की
परिभाषा हिन्दी।।

रिश्तों को अभिव्यक्ति, प्यार की स्वीकारोक्ति
करती हिन्दी।
वासी–अप्रवासी हृदयों को मिलाती है हिन्दी।।

बोलचाल, लेखन अलंकारों, छन्दों में समाहित
हिन्दी।
यही तो मेरी देश की एकता की मिशाल है हिन्दी।।

– राजेन्द कुमार
कार्यकारी (वित्त)

–ऋशाक सिह
पुत्र श्री रविन्द्र कुमार
द्वारा तैयार की गई पेंटिंग

लोकहितवाद सशक्तिकरण का सशक्त आधार

– हरवीर सिंह
कार्यकारी

भारत में लोकहित वादों के विकास की अवधारणा भारतीय संविधान, न्यायालयों के निर्णयों तथा विधि विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद –38 के अन्तर्गत जनता के आर्थक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय को सुनिशिचत किए जाने का आदेश राज्यों को दिया गया है । न्याय को जन–जन तक पहुँचाने का तथा आर्थक रूप से कमजोर लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए गएहै । लोकहितवाद कानूनी सहायता के अभियान का सशक्त आधार है जिसके माध्यम से निर्धन पीडित वादकारियों की प्रार्थना को न्यायालय तक पहुँचाया जाता है । जनहितकारी वादों के न्याय की जटिल प्रक्रिया को लचीला बनाया जाता है । केवल पोस्ट कार्ड, पत्र या साधारण कागज पर भेजी गई शिकायतों को भी न्यायालय द्वारा याचिका के रूप में सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकहितकारी वादो की परम्परा को बढावा दिया गया है और न्याय से वंचित लोगों को शीघ्र मुफ्त व निष्पक्ष कानूनी उपचार व न्याय दिलाया जा रहा है ।

निसंदेह न्यायालयों द्वारा सजगता का परिचय देते हुए ऐसे प्रकरणों को गम्भीरता से लेना एवं मुफ्त व निष्पक्ष कानूनी उपचार प्रदान करने से देश के गरीब, असहाय, एव महिलाओं में न्यायालय के प्रति आस्था को भी बढ़ाया है जो भारत की जनता को न्याय के प्रति आस्था का विश्वास जगाये रखेगा ।

लोकहितवाद में गरीब व्यक्ति भी न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है हमारे कई माननीय न्यायधीशों के माध्यम से इस प्रकार के निर्णय दिये गये है जिसमें भारत देश में रहने वाले लोगों को न्याय प्राप्त हो सका है । जो कि न्याय में पूरी तरह से आस्था को जगाये हुए है कि एक गरीब व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सकता है ।

कोरोना की यादें

– गिरिश चंद
स. प्रबंधक (मा.सं.)

कोरोना ने कैसे–कैसे हाल किया बेहाल!
चारों ओर मचा हुआ था कैसा हाहाकार!!
गरीब, मजदूर की सांसे अटकी रहती हर पल !
कौन घड़ी फिर आ जाए लॉकडाउन की खबर !!
यादें पुरानी दिल को हर वक्त डराती हैं !
आक्सीजन–दवाओं की किल्लत सिहरन पैदा कर जाती है !!
बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सिरों पर बोझ लादे थे !
गिरते पड़ते फिर भी चलते जाते थे !!
रुकी ट्रेन, बसें सब वाहन थे !
कहीं कोई भी दिखते नहीं परिवहन थे !!
दिन में फैला चारों ओर ऐसा सन्नाटा गहरा था !
मानों जैसे कोई दिन में रात का पहरा था !!
इस धरती को ऐसी प्रलय से हे प्रभु बचा ले !
हम सबको कोरोना से लड़ने का वज्र हथियार दिला दे?

विदाई

श्री के नारायण, प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्ति
के समय निगम द्वारा दी गई विदाई का चित्रांकन (दिनांक 31.3.2021)

श्री अरविंद कथूरिया, वरि. महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्ति
के समय निगम द्वारा दी गई विदाई का चित्रांकन (दिनांक 31.07.2021)

सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि है।
-लोकमान्य तिलक

jk"Vªh; fiNMk oxZ foÙk ,oa fodkl fuxe

fgUnh i[kokMk& 2021 izfr;ksfxrk ifj.kke

izfr;ksfxrk dk uke	LFkku	fotsrk dk uke
dEI;wVj ij fgUnh VkbZfix izfr;ksfxrk ¼l-i- ,o mlls Åij d Lrj d dkfed½	izFke	Jh xxunhi 'kek
	द्वितीय	श्रीमती अनुपमा सूद
	तृतीय	सुश्री रंजना
	सांत्वना पुरस्कार	श्री सजीव शर्मा
dEI;wVj ij fgUnh VkbZfix izfr;ksfxrk ¼l-i- Lrj l uhp d dkfed½	izFke	Jh NVdUuk yky
	द्वितीय	श्री वंशराज नाविक
	तृतीय	श्री आमिर अजीज
	सांत्वना पुरस्कार	श्री नरेश त्यागी श्री ध्रुव लाल
fgUnh fuc/k izfr;ksfxrk	izFke	Jherh uhye
	द्वितीय	श्री सुरेन्द्र कुमार साव
	तृतीय	श्री दिलीप सामद
	सांत्वना पुरस्कार	श्रीमती इन्दु थापा श्री गोपाल सिंह
fgUnh Hkk"k.k Kku izfr;ksfxrk	izFke	Jherh jtuh Jh gjh'k lrh
	द्वितीय	श्री सुरेन्द कुमार साव
	तृतीय	श्रीमती मीनाक्षी
	सांत्वना पुरस्कार	श्री दिलीप सामद
lkekU; Kku izfr;ksfxrk	izFke	Jh ln'ku noukFku
	द्वितीय	श्री मुन्ना खालिद
	तृतीय	श्री अशोक नागर
	सांत्वना पुरस्कार	श्री नरेश
Lo&jfpr fgUnh dfork izfr;ksfxrk	izFke	Jh jokUæ dekj
	द्वितीय	श्री संजीव शर्मा
	तृतीय	श्री राजेन्द्र कुमार
	सांत्वना पुरस्कार	श्री रमेश कुमार यादव
हिन्दी टिप्पणी लेखन	izFke	Jherh lhek flg
	द्वितीय	श्री हरीश सती
	तृतीय	श्री दीपक वर्मा
	सांत्वना पुरस्कार	श्री नरेश लाल श्री हिमांशु नागल

izfr;ksfxrk dk uke	LFkku	fotsrk dk uke
हिन्दी टिप्पणी लेखन (अहिन्दी भाषी कार्मिकों के लिए)	izFke	Jh fnyhi lkeu
	द्वितीय	श्री अजय मोहनराजू
	तृतीय	श्री मनोज राउत
	सांत्वना पुरस्कार	श्री भानूदेव राउल श्रीमती सारम्मा थामस
विचार प्रतियोगिता	izFke	Jh l[kno flg
	द्वितीय	सुरेन्द्र कुमार साव
	तृतीय	श्रीमती इन्दु थापा
	सांत्वना पुरस्कार	श्री गिरीश चंद सुश्री रंजना
fo'ks"k izksRlkgu ;kstuk, ¼iz;d izFke iqjLdkj jkf'k d :i e½	सर्वाधिक हिन्दी पत्र लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान / अधिकारी वर्ग)	Jh vftr dekj lkey महाप्रबंधक (वित्त), एन.क.स.
	सर्वाधिक हिन्दी टिप्पण लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान / अधिकारी वर्ग)	Jherh vuiek ln वरि. महाप्रबंधक (परि)
	सर्वाधिक हिन्दी टिप्पण लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान / कर्मचारी वर्ग)	Jherh bUn Fkkik अधिकारी (का. वि.)
	कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना (1.10.20 से 30.9.21 तक / अधिकारी वर्ग)	Jh lrh'k 'kek

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को-ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
   [illegible] विजयवाड़ा–520 [illegible], आंध्र प्रदेश
2. स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लि.
   द्वितीय तल, [illegible] हैदराबाद–500 [illegible], आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
   [illegible] गुवाहाटी, असम–781 [illegible]
4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर ओ.बी.सी. लि.
   [illegible] गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी, असम–781 [illegible]
5. नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस एण्ड कॉरपोरेशन लि.
   [illegible] दिसपुर, गुवाहाटी, असम–781005

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
   [illegible] पटना, बिहार–800001

चण्डीगढ़

7. चण्डीगढ़ एस.सी./ओ.बी.सी. एण्ड माइनॉरिटीज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
   [illegible] सेक्टर–17 सी, चण्डीगढ़–160017

छत्तीसगढ़

8. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
   [illegible] रायपुर, छत्तीसगढ़–492001

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./माइनॉरिटीज एवं हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
   [illegible] रोहिणी, दिल्ली–110085

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ओ.बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] पणजी, गोवा–403001

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    [illegible] सेक्टर–10, गांधी नगर, गुजरात–382010
12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] गांधी नगर, गुजरात–382010
13. गुजरात ठाकुर एवं कोली विकास निगम
    [illegible] गांधी नगर, गुजरात–382010
14. गुजरात नोमेडिक एवं डीनोटीफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    [illegible] गांधी नगर, गुजरात–382010

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स कल्याण निगम
    [illegible] सेक्टर 22/1, पंचकूला–134109

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    [illegible] हिमाचल प्रदेश–176 [illegible]

जम्मू एवं कश्मीर

17. जम्मू एवं कश्मीर एस.सी./एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    नवम्बर से अप्रैल – [illegible] जम्मू–180 [illegible]
    मई से अक्टूबर – [illegible] श्रीनगर–190001
18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    नवम्बर से अप्रैल – [illegible] द्वितीय तल [illegible] गांधी नगर, जम्मू–180004
    मई से अक्टूबर – [illegible] श्रीनगर–190 [illegible]

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    [illegible] रांची, झारखण्ड–834 [illegible]

कर्नाटक

20. डी. देवराज अर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    [illegible] बेंगलुरु, कर्नाटक–560052
21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] बेंगलुरु, कर्नाटक–560 [illegible]

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीसन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] तिरुवनंतपुरम, केरल–695 [illegible]
23. डिफेंसिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि.
    [illegible] तिरुवनंतपुरम, केरल–695 [illegible]
24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] टी.सी. 27/588 (7) [illegible] तिरुवनंतपुरम, केरल–695 [illegible]
25. केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरीज डेवलपमेंट लि. (मत्स्यफेड)
    [illegible] तिरुवनंतपुरम, केरल–695 [illegible]
26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्रॉम एस.सी. एण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटीज (लि.)
    [illegible] कोट्टायम, केरल–686 [illegible]
27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेलफेयर कॉरपोरेशन लि.
    [illegible]
28. द केरल स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] तिरुवनंतपुरम, केरल–695 [illegible]

मध्य प्रदेश

29. संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
    हस्तशिल्प भवन, [illegible] भोपाल, मध्य प्रदेश–462 [illegible]
30. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम,
    [illegible] भोपाल, मध्य प्रदेश–462 [illegible]

महाराष्ट्र

31. महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्गीय वित्त एवं विकास महामण्डल लि.
    [illegible] मुंबई, महाराष्ट्र–400 [illegible]
32. वसंतराव नाइक विमुक्त जाती एवं भटक्या जमाती डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] मुंबई, महाराष्ट्र–400 [illegible]

ओडिशा

33. द उड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] भुवनेश्वर, उड़ीसा–751001

पुदुचेरी

34. पुडुचेरी बैकवर्ड क्लासेज एण्ड माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] पुडुचेरी – 605013

पंजाब

35. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन
    [illegible] चण्डीगढ़–160017

राजस्थान

36. राजस्थान ओ.बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] जयपुर, राजस्थान–302005

सिक्किम

37. सिक्किम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] गंगटोक, सिक्किम–737101

तमिलनाडु

38. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
    [illegible] चेन्नई, तमिलनाडु–600 [illegible]

तेलंगाना

39. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
    [illegible] हैदराबाद, तेलंगाना–500 [illegible]

त्रिपुरा

40. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
    [illegible] अगरतला, त्रिपुरा–799 [illegible]

उत्तर प्रदेश

41. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.
    [illegible] लखनऊ–226 [illegible], उत्तर प्रदेश
42. [illegible] सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.
    [illegible] लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226 [illegible]

उत्तराखण्ड

43. उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम
    [illegible] देहरादून, उत्तराखंड–248 [illegible]

पश्चिम बंगाल

44. वेस्ट बंगाल एस.सी./एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन
    [illegible] कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700 [illegible]
45. वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन
    [illegible] कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700 [illegible]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
   [illegible] आंध्र प्रदेश

असम

2. असम ग्रामीण विकास बैंक
   मुख्य कार्यालय [illegible] गुवाहाटी, असम–781 [illegible]
3. [illegible] महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
   [illegible]
   [illegible] असम–785001

बिहार

4. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
   मुख्य कार्यालय [illegible] पटना–800 [illegible]

छत्तीसगढ़

5. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक,
   मुख्य कार्यालय [illegible] रायपुर–492 [illegible], छत्तीसगढ़

गुजरात

6. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
   मुख्य कार्यालय, [illegible] राजकोट–360 [illegible], गुजरात
7. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
   [illegible] वडोदरा–390 [illegible], गुजरात

हरियाणा

8. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
   [illegible] हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

9. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
   मुख्य कार्यालय [illegible] हिमाचल प्रदेश–175 [illegible]

झारखण्ड

10. झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक
    [illegible] रांची [illegible], झारखण्ड

मध्य प्रदेश

11. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
    [illegible] इंदौर–452 [illegible], मध्य प्रदेश
12. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
    मुख्य कार्यालय [illegible] सागर–470 [illegible], मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

13. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
    [illegible] औरंगाबाद–431005, महाराष्ट्र
14. [illegible] प्रा. लि. ([illegible])
    [illegible] महाराष्ट्र

मणिपुर

15. मणिपुर [illegible] बैंक
    [illegible] मणिपुर–795 [illegible]

पंजाब

16. पंजाब ग्रामीण बैंक
    मुख्य कार्यालय [illegible] कपूरथला–144 [illegible], पंजाब

राजस्थान

17. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
    [illegible] जोधपुर–342 [illegible], राजस्थान

तेलंगाना

18. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
    [illegible] हैदराबाद–500 [illegible], तेलंगाना
19. आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
    [illegible] हैदराबाद [illegible] तेलंगाना

त्रिपुरा

20. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक,
    मुख्य कार्यालय [illegible] अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा–799 [illegible]

उत्तर प्रदेश

21. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक
    मुख्य कार्यालय [illegible] मुरादाबाद–244 [illegible], उत्तर प्रदेश
22. बड़ौदा यू.पी. बैंक
    [illegible] गोरखपुर–273 [illegible], उत्तर प्रदेश
23. आर्यावर्त बैंक
    मुख्य कार्यालय [illegible] लखनऊ–226 [illegible], उत्तर प्रदेश

उत्तराखण्ड

24. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
    मुख्य कार्यालय [illegible] देहरादून–248 [illegible], उत्तराखंड

पैन इंडिया

25. बैंक ऑफ बड़ौदा
    मुख्य कार्यालय [illegible] वडोदरा–390 [illegible], गुजरात
26. केनरा बैंक
    मुख्य कार्यालय [illegible] बेंगलुरु–560 [illegible], कर्नाटक
27. पंजाब नेशनल बैंक
    [illegible] नई दिल्ली–110 [illegible]
28. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
    [illegible] यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, [illegible] हैदराबाद–500 [illegible]
29. बैंक ऑफ इंडिया
    [illegible] बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051, महाराष्ट्र
30. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
    [illegible] मुंबई–400021, महाराष्ट्र
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
    [illegible] मुंबई–400021, महाराष्ट्र
32. जना स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड
    [illegible]
    [illegible] कर्नाटक
33. [illegible] स्मॉल फाइनेंस बैंक
    [illegible]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वॉ तल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग 3, सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

ईमेल : nbcfdc@nbcfdc.gov.in वैबसाईट : www.nbcfdc.gov.in